उन्नति विचार

वर्ष : 8 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2003

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
गुजरात में शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाएँ: क्षेत्रीय अनुभव

नज़रिया 7
राष्ट्रीय विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका

आपके लिए 9
विश्व जनसंख्या प्रतिवेदन - २००२

अपनी बात 11
स्थानीय शासन में दलितों का नेतृत्व: संवैधानिक संशोधन बनाम वास्तविकता-साबरकांठा जिले का अध्ययन

गतिविधियां 15

संदर्भ सामग्री 23

अपने बारे में 28

संपादकीय टीमः
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

शहरी सेवाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता

शहरी शासन पर सिर्फ भारत में ही नहीं, वरन् दुनिया भर में ज़ोर दिया जा रहा है। यह चिंता का विषय है कि बाजारी ताकतें और द्विपक्षी व बहुपक्षी दाता संस्थाएं धीरे-धीरे नगरों की विकास सूची तय करने में लगी हैं। यदि गरीबों और दुर्बल वर्गों को अपने हितों की रक्षा करने हेतु सक्षम नहीं बनाया गया तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ ही यह प्रक्रिया उन्हें एक किनारे धकेल देगी। जो लोग सुशासन की हिमायत करते हैं वे नागरिकों की सहभागिता, उत्तरदायी व पारदर्शी व्यवस्था, तथा समता पर बल दे रहे हैं। ७४वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संदर्भ में विकास संबंधी प्रवृत्तियों में आयोजन, क्रियान्वयन व देखरेख के मामले में नागरिकों की भागीदारी हेतु व्यवस्था की है। हालांकि पालिकाओं की शासन-व्यवस्था उनको सौंपी गई नयी भूमिका को अदा करने में सक्षम नहीं है। सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और समानता के विचार लोगों, चयनित गतिविधियों तथा प्रशासकों के लिए नये हैं। विकास के इन मुद्दों के संबंध में उनको अभिमुख किये जाने की आवश्यकता है।

शहरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का मुख्य कार्य सड़कों, जल-आपूर्ति, कचरा-निकासी, गटर व्यवस्था तथा बिजली इत्यादि सेवाएँ उपलब्ध कराना है। हालांकि संसाधनों की कमी की वजह से ये आबादी के बड़े हिस्से तक ये सेवाएँ उपलब्ध नहीं करा सकतीं। आबादी का एक बड़ा भाग और विशेष रूप से गरीब लोग इन सेवाओं से वंचित रहते हैं अथवा ये सेवाएँ बहुत कम गुणवत्ता वाली होती हैं। कई बार इसके परिणाम स्वरूप उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा उन्हें घूस देने या निजी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए खर्च करना पड़ता है। नागरिकों या उपभोक्ताओं को अपने अधिकार ज़ोरदार तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है और उन्हें प्रशासकों से संवाद स्थापित करने हेतु प्रेरित करने की जरूरत है।

आयोजन और संसाधनों का आवंटन ठेठ ऊपर होता है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का अभाव है। विकासपरक योजनाओं के बारे में उनके बजट, प्रयोजन, स्तर, अंतिम तिथि सहित सारी जानकारी आसानी से मिल जाए तो पारदर्शिता व उत्तरदायित्व स्थिर हो और वित्तीय संचालन में खुलापन भी सुनिश्चित हो सकता है। बुनियादी सेवाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा देखरेख में उपभोक्ता सीधे-सीधे शामिल होते हैं तो सेवाओं की प्राप्यता, उत्तरदायित्व और कार्यक्षमता बढ़ती है।

शहरी शासन में नागरिकों की भूमिका मजबूत करने हेतु अनेक उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं, जिनमें पब्लिक अफेयर्स सेंटर, एक्सनोरा इंटरनेशनल, साथ (अहमदाबाद), फाउन्डेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, उन्नति, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स तथा पुणे, अलान्दुर, पिंपरी-चिंचवड, व्यारा इत्यादि नगरों का समावेश है। उनमें विविध प्रक्रियाएँ तथा व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इनमें नगर पालिकाओं की सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं का क्रमांकन करने वाले रिपोर्ट कार्ड, सहभागिता से अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने वाला स्लम-नेटवर्किंग, श्रेष्ठ कार्यों के आदान-प्रदान, लोककेंद्री विकासपरक योजनाओं की तैयारी तथा कार्यक्षमता हेतु संचालन व्यवस्था का समावेश होता है। नागरिकों की सहभागिता उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा समता सुनिश्चित करने के साथ विकास हो तो वह सुशासन तथा समता की तरफ बढ़ता चला जाता है।

गुजरात में शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाएँ: क्षेत्रीय अनुभव

'उन्नति' की कार्यक्रम संयोजक **सुश्री एलिस मोरिस** ने इस आलेख में शहरी शासन में स्त्रियों के साथ उनके क्षेत्रीय अनुभवों का वर्णन किया है। यह अध्ययन गुजरात के लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी शासन को सुदृढ़ करने की हमारी व्यापक मध्यस्थता का एक भाग है। यह अध्ययन लेख 'इंस्टीटयूट ऑफ सोशियल साइंसेज' तथा 'सेंटर फॉर द साइंसेज ह्यूमेनाइन्स' द्वारा ६-७ फरवरी २००३ को नयी दिल्ली में आयोजित 'शहरी स्वशासन में महिलाओं का अनुपात : अंतर्राष्ट्रीय तुलना' विषयक परिसंवाद में प्रस्तुत किया गया था।

संदर्भ

जो लोग समता और सामाजिक न्याय के विकासपरक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन सबके मस्तिष्क में इस समय शहरी शासन के प्रश्न महत्वपूर्ण बन गए हैं। सन् १९९० के दशक के आरंभ में विकास विषयक चर्चा और उसकी कार्य सूची में शासन का मुद्दा महत्वूर्ण बन गया था। भारत में सन् १९९२ में ७४वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन के साथ ही उसे महत्व मिल गया था। ७४ वें संविधान संशोधन ने शहरी शासन के प्रश्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था तथा उसने स्थानीय शासन में लोक भागीदारी के ध्येय को आगे बढ़ाया था।

७४वां संविधान संशोधन इस बात की स्वीकृति है कि शासन अब सिर्फ सरकारी संस्थाओं का विशेषाधिकार नहीं रह सकता और वह भारत में सहभागी स्थानीय शासन हेतु आवश्यक आरंभबिंदु प्रदान करता है। यह संशोधन शहरों में विकास की प्रक्रिया में लोक भागीदारी को प्रोत्साहन देने तथा उसको प्रभावशाली बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। स्थानीय संस्थाओं को अब सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता वरन् स्थानीय स्तर के प्रजातांत्रिक केन्द्रों के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। यह संशोधन सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा बुनियादी सेवाओं के आयोजन, संचालन तथा उन्हें उपलब्ध कराने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

सन् १९९२ का ७४वां संविधान संशोधन जून १९९३ में लागू हुआ था। यह संशोधन शहरी स्थानीय संस्थाओं को शासन के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और वह नगर पालिकाओं से संबंधित मुद्दों का स्पर्श करता है। गुजरात विधानसभा ने १९९३ में इस संशोधन के अनुसार गुजरात नगर पालिका अधिनियम में संशोधन संबंधी कानून पारित किया। वह १९६३ के गुजरात नगर पालिका कानून में संशोधन करने वाला था। इस संशोधन का एक विधायक कदम के रूप में अभिनंदन किया गया क्योंकि वह शहरी स्थानीय संस्थाओं को प्रभावशाली लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा नागरिकों और विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गों और महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ अमल में लाया गया ताकि वे निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन सकें।

दुर्बल वर्गों के हकों को अनुसूचित जातियों, अनुसुचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कुल आबादी के अनुपात में रखकर महत्व दिया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई पद आरक्षित किए गये हैं। इस संशोधन के अनुसार यह तय हुआ है कि नगर के प्रत्येक बोर्ड में से तीन में से एक प्रतिनिधि महिला हो। यह व्यवस्था उन्हें सक्षम बनाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें स्थान प्रदान करने हेतु की गई है। हालांकि महिलाएँ अभी उनमें आगे आने तथा पहल करने में झिझकती हैं।

७४वें संविधान संशोधन के बाद 'उन्नति' ने गुजरात के छोटे व मध्यम नगरों में शहरी शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमने लघु एवं मध्यम दर्जे के नगरों पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि हमें बताया गया है कि महानगर पालिकाओं में हस्तक्षेप करने वाली कई संस्थाएं हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और शहरी विकास विभाग स्वयं भी नगर परिषदों में

शासन प्रक्रिया सुधारने के बहुत प्रयास करते हैं। हमारी मध्यस्थता में हमने शासन व्यवस्था की समझ, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा विशेष रूप से महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भूमिका, बुनियादी सेवाओं की सहभागी देखरेख तथा लोककेंद्री विकासपरक आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस मध्यस्थता के एक भाग के रूप में हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों का अध्ययन किया है। इसका प्रयोजन नगर पालिका शासन के बारे में नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा अन्य हितैषियों के विचार समझना था। नगर पालिका के स्तर पर विशेष रूप से महिलाएं तथा दुर्बल वर्ग जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनकी समग्र समझ विकसित करने का भी प्रयोजन था ताकि वे उन्हें प्रदान किए गए राजनीतिक अवसर का प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें, इसकी उचित मध्यस्थता हो सके।

गुजरात में छः नगर निगम, ८६ नगर पालिकायें तथा ६० नगर पंचायतें हैं। उनमें क्रमशः ४६८, २७४५ और १२६० निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इन कुल ८६८५ प्रतिनिधियों में से २८९३ महिला प्रतिनिधि हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी समय एक-तिहाई महिलाएं पदासीन होती हैं। यहाँ जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए हैं वे १९९९ में गुजरात के दो लघु और दो मध्यम नगरों के क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं। अर्थात् यह पांच वर्षों की प्रथम समयावधि के बाद का अध्ययन है। इन नगरों में धोलका, अमरेली, खेडब्रह्मा तथा धरमपुर का अध्ययन किया गया है। चारों ही नगरों में ५१ पुरुष और २७ महिला नगर सेवकों से साक्षात्कार के आधार पर यह अध्ययन किया गया है। इन प्रतिनिधियों से एक प्रश्नावली भी भरवाई गई, कि जिससे शासन विषयक उनके विचार तथा कानून के बारे में उनकी समझ जानने को मिले और यह भी जाना जा सके कि उनकी भूमिका व जिम्मेदारी अदा करने में कौन सी ताकतें उनकी मदद करती हैं तथा कौन से अवरोध सामने खड़े होते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्तर

महिलाओं को आरक्षण देने के बाद जिन्होंने चुनाव लड़ा उनमें से ज्यादातर महिलाएं गृहिणियां हैं। ९६ प्रतिशत महिलाएं पहली ही बार चुनी गई हैं और वे महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के आरक्षित पदों पर चुनी गई हैं। लेकिन पुरुष भी लगभग इतनी ही संख्या में पहली बार चुन कर आये हैं।

सामान्य मान्यता के विपरीत मात्र ११ प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। लगभग ४० प्रतिशत महिलाओं ने माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। वे शिक्षक एवं वकील भी हैं। नगर पालिका की व्यवस्था तथा कार्यवाही की समझ प्राप्त करने में शिक्षा का अभाव अवरोध बन जाए ऐसा नहीं लगता। यही परिस्थिति पुरुषों में भी है। शायद महिलाओं में पुरुषों की बजाय निरक्षरता कम है।

चुनाव से पहले ८१ प्रतिशत महिलाओं ने कभी भी सार्वजनिक पद धारण नहीं किया था। यह अनुपात पुरुषों में लगभग ७० प्रतिशत था। यह सब अचरज की बात नहीं है, क्योंकि सामाजिक ढांचा ऐसा है कि वह स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए

तालिका नं.१
नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य

गुजरात के नगरपालिका अधिनियम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या की व्यवस्था इस प्रकार है:

ग्रेड	आबादी	सदस्य संख्या
ए	दो लाख से अधिक	५१
बी	एक से दो लाख	४२
सी	५०,००० से एक लाख	३६
डी	२५,००० से ५०,०००	२७
ई	१५,००० से २५,००० - नगर पंचायत	२१

प्रत्येक वार्ड में तीन निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित होता है। गुजरात में नगर एवं वार्ड स्तर पर नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में तथा नगर निगमों में वार्ड समिति की व्यवस्था है, जो विकेंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है।

पर्याप्त अवसर नहीं देता। राजनीतिक दलों के युवा मोर्चे और युवक पक्ष पुरुषों को अवसर प्रदान करते हैं लेकिन स्त्रियों को उसमें प्रविष्ट होने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

हालांकि वे सार्वजनिक पदों पर कभी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने इलाकों में सामुदायिक कार्यों में भाग लिया था। पुरुष व महिला दोनों नगर सेवकों में यह बात हमें देखने को मिलती है। विशेष रूप से पेय जल, स्वच्छता तथा सड़कों जैसी सेवाएं अधिक अच्छे ढंग से मिलें इसके लिए नागरिकों को संगठित करने में वे संलग्न थी।

सुमित्रा बहन महिलाओं के आरक्षित पद पर चुनी गई थी। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा एक राजनीतिक दल के सहारे उन्होंने चुनाव लड़ा था। वे तीन वर्षों तक प्रधान थीं तथा पालिका की सक्रिय सदस्य थी। धरमपुर नगर की मुख्य समस्याओं के रूप में उनको गटर लाइन का अभाव, खराब सड़कें, लाइटों की अपर्याप्त व्यवस्था आदि ज्ञात हैं। विशेष रूप से नगर के बाहरी अंचलों में यह समस्या विशेष है। जब वे प्रमुख थीं तब उन्होंने अपने वार्ड की सड़कों, गटर व लाइट की समस्याएं हल कर दी थीं। उन्होंने एक मजेदार बात बताई: 'गरीब पानी व मकान दोनों का कर चुकाता है, पर धनी लोगर कर नहीं चुकाते। गरीबों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिलती जबकि धनी दबाव डाल कर वे सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। उनकी इच्छा है कि और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर सेवकों के अभिमुखता-प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।

राजनीतिक समर्थन

चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। निर्वाचित महिलाओं में से ६० प्रतिशत महिलाएँ राजनीतिक दल की टिकट पर ही चुनी गई हैं। उम्मीदवारी का पर्चा भरना, चुनाव प्रचार हेतु अभियान चलाना तथा नागरिकों का समर्थन प्राप्त करना आदि मामले में दल के समर्थन से आसानी हो जाती है। नागरिकों के सर्वेक्षण से ऐसा जानने को मिला है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनितिक दल महत्वपूर्ण आधार होता है। अनिला बहन जानी अमरेली में महिलाओं की आरक्षित सीट पर चुनी गई हैं। वे किसी राजनीतिक दल की नहीं, परंतु उन्हें कांग्रेस दल का समर्थन प्राप्त था क्योंकि उनके पति जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके अनुसार नगर पालिका की मुख्य समस्याएं खराब सेवाएं, सीमित संसाधन तथा भ्रष्टाचार हैं। वे इन समस्याओं को समझती हैं और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा सेवाएं सुधारने से संबंधित सुझाव भी उनके पास हैं, लेकिन वे कदम नहीं उठा सकती। अध्यक्ष निर्णय लेने से पहले अन्य नगर सेवकों के साथ विचार-विमर्श नहीं करते। उदाहरणार्थ, बोरवेल खुदवाने का प्रति फुट खर्चा २० रु. है, लेकिन कांट्रेक्ट ७० रु. के भाव पर दिया गया। कलेक्टर से इस शर्त पर लोन लिया गया कि प्रति माह ३०,००० रु. की किस्त वापिस चुका दी जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। एक स्पोर्टस क्लब की मंजूरी मिली है, लेकिन उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। बैठक के दौरान अन्य सदस्यों के ध्यान में यह बात लाई जाती है, तो उसे उचित महत्व नहीं दिया जाता।

महिला उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है पर वे राजनीतिक दलों की सदस्य नहीं थीं। उनमें से कई राजनीतिक वातावरण वाले परिवारों से हैं। वे किसी न किसी राजनीतिक दल के पुरुष सदस्यों की वे रिश्तेदार होती हैं और उनके द्वारा ही उनका चयन किया जाता है क्योंकि वे उन सीटों पर अपना नियंत्रण जाने देना नहीं चाहते। महिलाओं को चुने जाने पर जिन्होंने उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, वे लोग निर्णय-प्रक्रिया पर अपना अकुंश रखते हैं और अपनी मांगें पूरी कराते हैं। वैसे, मात्र २० प्रतिशत स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि जिनके परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय थे और जो जाने-माने सार्वजनिक व्यक्ति थे। यह एक स्वागत-योग्य परिवर्तन है।

पारिवारिक समर्थन

स्त्रियों के जीवन में तथा राजनीति में उनकी सहभागिता में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्त्रियों के लिए माता-पिता बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति होते हैं, जबकि पुरुषों को उनके मित्र चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहन देते हैं। उनको चुनाव लड़ने हेतु समर्थन मिल जाता है और वह समर्थन वहीं समाप्त हो जाता है। उन्हें चुन लिये जाने के बाद राजनीति में उन्हें सक्रिय भूमिका अदा नहीं करने दी जाती और शासन संबंधी समस्याओं में रुचि नहीं लेने दी जाती।

उनको उनके घर के कामों को ही प्राथमिकता देनी पड़ती है। गुजरात में सौराष्ट्र तथा कच्छ जैसे इलाकों में कई ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो महिलाओं को घर से बाहर आकर सार्वजनिक कामों में भाग लेने से रोकती हैं।

महिलाएं कार्यालयों में बहुत कम समय दे सकती हैं। लगभग ५५ प्रतिशत पुरुष रोजाना कार्यालय में समय देते हैं जबकि मात्र १९ प्रतिशत महिलाएं ही सप्ताह में एक ही बार आफिस जा सकती हैं, जबकि शेष स्त्रियां तो उनसे भी कम समय आफिस को दे पाती हैं। उनको ऐसी निर्वाचित महिलायें मिली हैं कि जिनके पतियों ने उन्हें चुनाव लड़ने में सहयोग दिया था, पर चुनाव के बाद वे घर में ही रहती हैं और पति ही नगर पालिका में समय देते हैं।

कानून, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में सजगता

पिछले दस वर्षों से कानून प्रचलन में है पर निर्वाचित सदस्यों को कानून के विषय में मात्र आंशिक ज्ञान ही है। चुनाव, अध्यक्ष की समयावधि तथा महिलाओं व दुर्बल वर्गों हेतु आरक्षण आदि की व्यवस्थाएं सर्वाधिक जानी हुई बातें हैं। पांच वर्ष की अवधि के लिए कौन अध्यक्ष बन सकता है, यह वे जानती थी, परंतु निर्वाचित प्रतिनिधि, वित्तीय तथा विकासपरक आयोजन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। विकासपरक आयोजन के लिए जिला आयोजन समितियों का गठन अनिवार्य है, परंतु इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए।

सामाधान मांगती समस्याएं

छोटे व मध्यम नगरों में तमाम नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि इन्हीं समस्याओं के समाधान में लगे होते हैं और वे कोई संघर्ष खड़ा नहीं करते। जल की आपूर्ति, कचरा निकासी तथा सड़कें सुधारना प्राथमिक मुद्दे होते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्तियों और सामाजिक प्रसंगों में रुचि लेते हैं तथा वृद्धों और विधवाओं को पेंशन दिलाने में भी रुचि लेते हैं।

कानूनी मामले हाथ में लेने हेतु समुदाय को समर्थन देने में वे शामिल होते हैं, तथा गरीबों की दशा सुधारने के मामले में वे

तालिका नं.२
नगर पालिकाओं को धन का आवंटन

७४वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था है जिसका कार्य पंचायतों को वित्तीय अनुदान देने की सिफारिश करना है। परंतु गुजरात में गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड अस्तित्व में है। इन दोनों के कार्यों और अधिकारों के बीच क्या अंतर है, यह स्पष्ट नहीं है। नगर पालिकाओं को अधिकांश धन इसी बोर्ड से मिलता है।

प्रयत्नशील रहते हैं। नगर आयोजन, संसाधन एकत्रित करने, बजट तैयार करने, हिसाब रखने तथा संस्थागत ढांचे पर ध्यान देने आदि बातों को स्पर्श करते वे नहीं दिखे।

सभी महिला नगर सेवक मानती थी कि नगर के शासन में नागरिकों की सहभागिता सुधर सकती है परंतु जब वे इस मामले में कदम उठाने को तैयार हुई तो पुरुषों की ओर से विरोध हुआ। उदाहरणार्थ एक स्थान पर ग्रंथालय को संभालने वाली महिला नगर सेवकों ने पुस्तकें खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किया और बाग सुधारने हेतु योजनाएं तैयार कराई, परंतु उनका यह कह कर विरोघ किया गया कि बजट नहीं है। कई मामलों में तो महिला प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में दखलंदाजी न करने को कहा गया। धोलका में महिला नगर सेवकों ने बाग और ग्रंथालय सुधारने हेतु इकठ्ठे होकर योजना तैयार की, पर उनका यह कह कर विरोध किया गया कि बजट नहीं हैं। बाग में मनोरंजक खेलों के उपकरण लगाने हेतु महिला नगर सेवकों ने मांग की परंतु वह पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें यह कहा गया कि बगीचा सही हालत में हैं।

स्थानीय शासन में अवरोध पैदा करने वाली ताकतें

७४वां संविधान संशोधन महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। हर पांच वर्ष बाद लगभग २९०० स्त्रियां गुजरात में नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनी जाती हैं और उनमें से एक-तिहाई तो पदभार ग्रहण करती हैं। नेतृत्व की भूमिका में स्त्रियां आयें, यह स्वागत योग्य परिवर्तन है। हालांकि वे अनेक अवरोधों का सामना करती हैं:

(१) सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम रही है,

क्योंकि कम साक्षरता, अनुभव का अभाव और परिवार की जिम्मेदारी जैसे सामाजिक अवरोध इसमें बाधक हैं। कम भागीदारी आत्मविश्वास के स्तर पर विपरीत असर डालती है और सार्वजनिक मामलों में सहभागी बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती।

(२) पुरुषों के वर्चस्व और उनके सहयोग के अभाव की वजह से भी अवरोध खड़े होते हैं। स्थानीय स्तर पर महिला को अधिकार का उपयोग करती हुई स्वीकार कर पाना मुश्किल होता है।

(३) कानून की व्यवस्थाओं तथा नगरपालिका की सेवा के साथ संबंधित नियमों तथा विनियमों की समझ का अभाव विद्यमान है।

(४) आयोजन, बजट की तैयारी तथा हिसाब के बारे में जानकारी का अभाव।

(५) शहरी विकास की समस्याओं का सामना करने का अनुभव नहीं है। ये समस्याएं अधिक जटिल और बहुपक्षीय होती हैं। शहरी आयोजन की प्रक्रिया, ढांचागत विकास और सेवाओं का वितरण आदि बातें टेक्निकल हैं और योग्यताधारी व्यक्ति भी बहुधा उन्हें आसानी से नहीं समझ पाते। अभिमुखता का प्रशिक्षण दिया जाए तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ये प्रवृत्तियां हाथ में ले पाना आसान हो सकता है।

(६) नागरिकों की मांगें पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

सहभागिता बढ़ाने हेतु सुझाव

निर्णय-प्रक्रिया में महिलाएं प्रभावी तरीके से भागीदार बनें इसके लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने की जरूरत है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, अभिमुखता, अतिरिक्त संसाधन, व्यवस्था आदि मामलों में समर्थन-सहयोग देने की जरूरत है ताकि उनकी सहभागिता बढ़े:

(१) अधिकांश महिलाएं पहली ही बार चुनी हुई होती हैं अतः उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत है। अभी सामन्यतया एक दिन का प्रशिक्षण होता है, जिसमें नगर पालिका नियम, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं यह प्रशिक्षण देती हैं। इस प्रशिक्षण में नगर पालिका की व्यवस्था, कानूनी अधिकार नियम व विनियमन, आयोजन, बजट की तैयारी, हिसाब आदि मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। बड़े स्तर का प्रशिक्षण अभी प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह प्रशिक्षण जिला या तहसील स्तर पर आयोजित होना चाहिए, ताकि महिलाओं के लिए उसमें उपस्थित हो पाना ज्यादा अनुकूल हो सके।

(२) महिलाओं को नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। पुरुषों और स्त्रियों को इस संबंध में अपनी मनोवृत्ति को बदलना जरूरी है। सभी स्तरों की सरकारों, अधिकारियों, सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं में स्त्री-पुरुष भेदभाव दूर करने संबंधी जागृति उत्पन्न करनी चाहिए। इन सभी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह एक मुद्दा उनका भाग होना चाहिए।

(३) चुनाव के बाद तत्काल ही प्रशिक्षण और अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए ताकि वे अपनी अवधि पर्यन्त अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें। आत्मविश्वास पैदा करने के सरल तरीके भी महिलाओं को काम करने की प्रेरणा देंगें। फरवरी २००३ में लगभग ८४ नगर पालिकाओं में चुनाव किये गए। निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु आयोजन हो रहा है।

(४) निर्वाचित प्रतिनिधियों को शहरी आयोजन, बजट तैयार करने तथा देखरेख रखने के बारे में कोई अनुभव नहीं होता। धोलका और साणंद में हमने समुदाय की भागीदारी से विकासपरक योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि और नगरपालिका के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। महिला सदस्यों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ने का हमने प्रयास किया है। उससे शहरी आयोजन की प्रक्रिया के विषय में उनकी समझ बनी है।

(५) धोलका और साणंद के नागरिकों के लिए अहमदाबाद के स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट के अवलोकन के आयोजन किया गया। महिला सदस्यों ने इस अवलोकन का आयोजन में रुचि ली और उन्होंने नागरिकों को भी इस मुलाकात हेतु तैयार किया। इससे नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं की प्राप्ति बढ़ी वे काम करने को तैयार हुए और उन्हें प्रेरणा मिली।

शेष पृष्ठ 27 पर

राष्ट्रीय विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका

भारत सरकार के योजना आयोग के स्वैच्छिक कार्य विभाग ने दिनांक २०.४.२००२ को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में 'राष्ट्रीय विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका' के बारे में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में प्रस्तुत मंतव्य यहां प्रस्तुत हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री, भारत

राष्ट्र निर्माण का कार्य एक रथ जैसा है, जिसमें पांच घोड़े हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, निजी क्षेत्र व स्वैच्छिक संगठन तथा समुदाय आधारित संगठन। राष्ट्र के विकास संबंधी व्यूह रचना में स्वैच्छिक क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार पर अधिक निर्भरता रखने की प्रवृत्ति को बढ़ने दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक प्रभावों ने जन्म लिया है। सबसे अधिक दृश्यमान नकारात्मक प्रभाव तो यह है कि सरकार जो कुछ खर्चा करती है और समाज जो लाभ प्राप्त करता है, उन दोनों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। स्वैच्छिक क्षेत्र की उपेक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है स्वतंत्रता के पश्चात् और विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में विकसित राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक पक्षों ने साधारणतया संगठन और संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया और संरचना पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा और स्वैच्छिक कार्य की भावना के सिवाय स्वैच्छिक क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसी से लोगों के बीच और लोगों तथा सरकार के बीच सहयोग विकसित होता है।

राष्ट्र निर्माण के विविध क्षेत्रों में प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने समन्वित ग्राम विकास, जलस्राव संचालन, बरसात के पानी का संग्रह, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, आदिवासी तथा पर्वतीय अंचलों में महिलाओं और बालकों का कल्याण आदि मुद्दों को लेकर जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। उनके इस भगीरथ काम को महत्व नही दिया जाता, लेकिन राष्ट्र के विकास में वे सच्चे वीर सेनानी हैं। संचार-माध्यमों को ऐसे वीर नायकों और उनके कार्यों को अधिक प्रसिद्धि देनी चाहिए, ताकि उनसे दूसरों को और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को स्वैच्छिक कार्यों में भागीदार होने की प्रेरणा मिले। स्वैच्छिक संगठनों को अधिक शामिल किए जाने से सरकार को बहुत कम खर्च पर अधिक कुशलता से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी तथा लाभदायी रोजगार व्यवस्था उत्पन्न हो सकेगी। भारत में आज स्वैच्छिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी प्रामाणिक तरीके से दृष्टिपात किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक क्षेत्र में जो अनैतिक एवं भ्रष्ट व्यवहार हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। देश में स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास में जो असमानता है, उसे भी न्यूनतम करने का प्रयास होना चाहिए ताकि उत्तर व पूर्व के राज्यों को दक्षिण व पश्चिम के राज्यों के अनुभव का लाभ मिले। योजना आयोग ने ऐसी १० प्रवृत्तियाँ तय की हैं, जिनमें १०वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वैच्छिक संस्थाएं यह कार्य सिद्ध करने में अपनी उचित भूमिका अदा कर सकें, इसके लिए योजना आयोग को उन्हें सक्षम बनाने की नीति गढ़नी चाहिए। विकास के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर निर्भरता न रहे, ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के नेतृत्व तले विकास के नमूने निर्मित किये जाने चाहिए, जिनका अनुसरण अन्यत्र भी हो सके।

श्री कृष्णचंद्र पंत
उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार

देश में स्वैच्छिक कार्य की परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह हमारे राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतंत्रता आंदोलन का भाग है। अनेक महान सुधारकों ने सामाजिक दोषों के निवारण हेतु मजबूत सामाजिक एवं सामुदायिक कार्य पर बल दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह परंपरा विकसित हुई और स्वैच्छिक संगठन भी विकसित हुए। हालांकि इन प्रयासों को मजबूत करने तथा दृढ़ीभूत करने की जरूरत है। स्वैच्छिक क्षेत्र में कई कार्यगत लाभ हैं। वह समुदाय-आधारित है अतः अधिक उत्तरदायी है और कम खर्च में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। अधिक महत्व की बात तो यह है कि स्वैच्छिक संगठन स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के अनुसार नयी परियोजनाएं विकसित कर सकते हैं। सामान्य सरकारी कार्यों में जो श्रेणीबद्धता दिखती है,

वह उनमें नहीं दिखती। योजना आयोग की संचालन समिति में स्वैच्छिक क्षेत्र के संकलन का समावेश किया गया है, यह आनंद का विषय है। सामाजिक सहजता को विकसित करने के लिए अनिवार्य वातावरण निर्मित करने से योजना और विकास की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। मार्च २००० में योजना आयोग को सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच के संबंधों हेतु नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है ताकि स्वैच्छिक क्षेत्र के विषय में समन्वित व सर्वग्राही दृष्टिकोण जाना जा सके। देश में स्वैच्छिक क्षेत्र का विकास असमान तरीके से हुआ है अतः परिणामस्वरूपः धन का प्रवाह भी असमान रूप से बढ़ा है। उसमें विदेशी तथा स्वदेशी दोनों तरह से यही हुआ है। कई राज्यों और कई प्रवृत्तियों में अधिक पैसा लगा है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अभिगम-पत्र में ११ ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं जिन पर देखरेख रखी जा सके। सरकार, स्वैच्छिक क्षेत्र, उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के बीच की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान की नियमित समीक्षा भी होनी चाहिए। राज्य सरकारों से उनकी वार्षिक योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका के बारे में एक अलग प्रकरण रखने हेतु अनुरोध किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों को अपनी प्रामाणिकता सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के उचित स्तर स्वीकार करने चाहिएं। स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में सरकार को भी पारदर्शी बनना चाहिए।

श्री राजेश टंडन
पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, दिल्ली

देश में स्वैच्छिक कार्य की लंबी व समृद्ध परंपरा रही है। स्वैच्छिक कार्य का मूल तो आध्यत्मिकता है। हमारी भूमि पर विश्व के बड़े धर्म जन्मे हैं, पनपे हैं और उन सबने अन्य मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ योगदान देने हेतु अपने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया है। स्वतंत्र भारत में सरकार हमारे अपने समाज को सामाजिक - आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाली मुख्य कर्ता बनी। हालांकि १९९० के दशक के प्रारंभ से इस विषय में सर्व सम्मति बन गई कि मात्र राज्य हमारे लोगों के जीवन में जरूरी सभी सर्वांगीण सुधार नहीं कर सकेगा राष्ट्र के विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं ने तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैः नव-प्रवर्तन, अधिकारिता, और शोध व समर्थन। भारत में, हालांकि स्वैच्छिक क्षेत्र पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, यह एक दुखद विषय है, सरकार तथा निजी उद्योग - धंधे के बीच के संबंध पिछले १० वर्षों में सुधरे हैं और उनमें नयी नयी बातों का समावेश हुआ है, पर स्वैच्छिक क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ।

सुश्री नफीसा बारोट
'उत्थान' अहमदाबाद

स्व.प्रो. रवि मथाई के स्वशिक्षण द्वारा स्वावलंबन विषयक जवाजा के प्रयोग से प्रेरणा लेकर हमने भागीदारी द्वारा स्थानीय नेतृत्व खड़ा करने का काम किया। ऐसी भागीदारी का अर्थ यह था कि हमें स्त्रियों, गरीबों, विविध समुदायों तथा जातियों की समस्याओं को उनकी आंखों और उनके मन से समझना था। भयानक वंचितता की स्थिति में अस्तित्व के प्रश्नों का वैविध्य और उनका परिमाण हमने समझा। पानी की कमी, अनारोग्य, अवसरों की वंचितता, भेदभाव और दमन इन सबके बीच स्थाई और आजमाने योग्य हल निकालने की चुनौती थी। लोग जिस धरातल पर थे, वहां से हमने शुरूआत करना सीखा, ऊपर से लाये गए हल उन्हें पहुँचाने नहीं थे। इसका अर्थ स्पष्टतः मन को बदलना था, सत्ता के वर्तमान संबंध बदलना था, संस्थागत सुधार करने थे, और मानवाधिकारों, समता तथा न्याय के मूल्यों का आदान-प्रदान करना था। भागीदारी में 'उत्थान' की भूमिका लोगों तथा भागीदारों के साथ लाने की रही है। इस सारी २२ वर्षों के अवधि के दौरान एक महत्वूपर्ण प्रश्न हम बराबर हम से ही पूछते रहे हैं, और वह यह हैः 'हम सरकार के सामने क्या हैं?' उस समय और आज भी सरकार सबसे बड़ी विकासपरक संस्था के रूप में अस्तित्व रखती है। हमें कई बार गलत ढंग से सरकार के विस्तृत अंग के रूप में अथवा दूसरों के द्वारा तय किये गए लक्ष्य हासिल करने संबंधी क्रियान्वयन संस्था के रूप में देखा जाता है। 'गैर सरकारी' शब्द नकरात्मक शब्द है और उसमें स्वैच्छिकतावाद के सच्चे स्वरूप का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। सच्ची अधिकारिता और परिवर्तन की प्रक्रियाओं में नागरिक समाज की विधायक भूमिका है। अपने स्वैच्छिक कार्य, प्रतिबद्धता और व्यवसायी संसाधनों को हम जिसके भाग हैं, उस व्यापक समाज पर प्रभाव डालना ही चाहिए। विकास का सिर्फ भौतिक लक्ष्यों के रूप में नहीं वरन् अधिकारिता की चिरंतन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, हमारी चुनौती है।

शेष पृष्ठ 32 पर

विश्व जनसंख्या प्रतिवेदन - २००२

'नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर' की सलाहकार समिति के अध्यक्ष **प्रॉ.आशिष बोस** के द्वारा यह लेख लिखा हुआ है। इसे 'हैल्थ फॉर द मिलियंस' के दिसंबर २००२, जनवरी २००३ के अंकों से लिया गया है। इस लेख में इस बारे में चर्चा की गई है कि सन् २००२ का विश्व जनसंख्या प्रतिवेदन गरीबी-निवारण पर किस प्रकार बल देता है।

प्रस्तावना

बहुत लंबे समय से पश्चिमी देश और दाता संस्थाएं यह समझने में असफल रही हैं कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या गरीबी पर जोरदार धावा बोले बिना हल नहीं की जा सकेगी। अतः 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोपुलेशन - २००२' गरीबी की समस्या को केंद्रीय स्थान में लाकर रखती है, यह एक स्वागत योग्य घटना है। यू.एन.एफ.पी.ए. के इस प्रतिवेदन का उप शीर्षक है - 'लोग, गरीबी और संभावनाएं: गरीबों हेतु विकास का क्रियान्वयन करना।' यह आरंभ में ही कहता है कि, 'प्रायः सबसे गरीब लोगों को अलग रखा गया है, साथ ही उनका नुकसान बढ़ाया है। गरीबों को विकास की प्रक्रिया में स्वयं लाने हेतु सीधे कदमों और ऐसी स्थिति की जरूरत है ताकि वे गरीबी में से मुक्त हो सकें।' यह बात उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में ३०० करोड़ लोग रोजाना दो डालर से भी कम आमदनी कर पाते हैं।

यह प्रतिवेदन गरीबी और स्त्री-पुरुष अंतर संबंधी आंकड़ों से अंटा हुआ नहीं है। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (यूएनडीपी) की मानव गरीबी दर (एच.पी.आई.) के विरुद्ध एतराज उठाये बिना वह यह कहता है कि 'सूचक व सहभागिता के अभिगम कुछ विकल्प प्रदान करते हैं।' 'वोलंटरी हेल्थ एसोशियेशन ऑफ इंडिया' (वी.एच.ए.आई.) तथा उसके साथ जुड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु यह आनंददायी प्रसंग है कि समूह चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा गरीबी के बारे में बाहर से लादी हुई व्याख्या का उपयोग किये बिना सीधे गरीबों से ही सूचनाएं प्राप्त की जाएं। उत्तरदाताओं से गरीबी संबंधी उनके अपने विचार बताने के लिए कहा जा सकता है, कि वे ऐसी सामाजिक व आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें कि जो पारिवारिक सर्वेक्षण की शैक्षिक जानकारी प्रदान न करे जिसका जाति गढ़ने, निवेश या नियमनकारी निर्णय लेने हेतु उपयोग किया जा सकता हो।

सूचक

'वोलंटरी हेल्थ एसोशियेशन ऑफ इंडिया' ने अपने हाल के क्षेत्रीय अध्ययनों में और विशेष रूप से अपने 'परिवर्तन कार्यक्रम में यही अभिगम अपनाया है। अब हम संक्षेप में आंकड़ों संबंधी सूचकों के विषय में चर्चा करें। सन् १९९४ की अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास परिषद, काहिरा के कई सूचक इस प्रकार हैं:

मृत्यु संबंधी सूचक

(१) बाल मृत्यु दर (प्रति हजार में कुल जीवित जन्मे, (२) आयुष्य (स्त्री/पुरुष), (३) मातृत्व मृत्यु अनुपात।

शिक्षा संबंधी सूचक

(१) प्राथमिक शिक्षा में प्रविष्ट होने वाले बालक (स्त्री/पुरुष), (२) प्राथमिक विद्यालयी पढ़ाई के अंत में परीक्षा देने वाले बालकों का अनुपात (स्त्री/पुरुष), (३) माध्यमिक विद्यालय में पंजीकरण (स्त्री/पुरुष) (४) निरक्षरों का अनुपात (१५ वर्ष से बड़े स्त्री/पुरुष)।

प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के सूचक

(१) १५ से १९ वर्ष की प्रति हजार स्त्री द्वारा बालक को जन्म (२) जन्म नियंत्रण (कोई भी पद्धति/आधुनिक पद्धतियाँ), (३) वर्तमान एच.आई.वी.की दर (१५ से २४ वर्ष के स्त्री/पुरुषों में प्रतिशत वार अनुपात)।

जनसांख्यिकी सामाजिक और आर्थिक सूचक

(१) कुल आबादी करोड़ में - २००२ (२) अनुमानित आबादी करोड़ में २०५०. (३) औसत जनसंख्या वृद्धि दरः २०००-२००५ (४) शहरी आबादी का प्रतिशतवार अनुपात - २००१ (५) शहरी आबादी वृद्धि दर २०००-२००५. (६) आबादी/जोतने योग्य और फसल उगाने वाली जमीन हेक्टयर में। (७) कुल जनोत्पत्ति दरः २०००-२००५ (८) कुशल व्यक्ति के द्वारा होने वाला प्रतिशतवार अनुपात

स्वास्थ्य सूचक

सूचक/देश	चीन	भारत	पाकिस्तान	बांग्लादेश	नेपाल	श्रीलंका
कुल आबादी (करोड़ में) - २००२	१२९.४	१०४.१	१४.९	१४.३	२.४	१.९
बाल मृत्यु दर	३७	६५	८७	६७	७१	२०
आयुष्य (वर्ष) पुरुष	६९.१	६३.६	६१.२	६०.६	६०.१	६९.९
स्त्री	७३.५	६४.९	६०.९	६०.८	५९.६	७५.९
मातृत्व मृत्यु दर (प्रति एक लाख जीवित जन्म पर)	६०	४४०	२००	६००	८३०	६०
१५ से १९ वर्ष की स्त्रियों द्वारा जन्म (प्रति हजार)	५	४४	५०	१२५	१२४	२३
जन्म नियंत्रण: कोई भी पद्धति	८४	४८	२८	५४	३९	६६
आधुनिक पद्धति	८३	४३	२०	४३	३५	४४
वर्तमान एच.आई.वी.दर (१५ से २४ वर्ष में प्रतिशत)						
पुरुष	०.१६	०.६४	०.०६	०.०१	०.२७	०.०३
स्त्री	०.०९	०.७१	०.०५	०.०१	०.२८	०.०४

(९) प्रतिव्यक्ति आय डालर में - २००० (१०) कुल गृह पैदाइश में प्रतिशतवार अनुपात के रूप में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रति छात्र खर्च (११) कुल गृह पैदाइश के प्रतिशतवार अनुपात के रूप में स्वास्थ्य पर खर्च। (१२) विदेशी आबादी सहायता डॉलर में (१३) पांच वर्ष से नीचे की आयु के बालकों में मृत्यु का औसत - स्त्री-पुरुष (१४) प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग (१५) पीने के स्वच्छ जल की प्राप्ति।

प्रजनन परक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा जनसंख्या के बारे में यह प्रतिवेदन नीचे के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य तय करता है: (१) भयकंर गरीबी व भुखमरी का निवारण (२) सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण हासिल करना (३) स्त्री-पुरूष समानता को प्रोत्साहन तथा महिलाओं की अधिकारिता (४) बाल मृत्यु दर में घटोतरी (५) माताओं का स्वास्थ्य सुधार (६) एच.आई.वी./एड्स, टी.बी., मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम (७) चिरंतम पर्यावरण विकास (८) विकास हेतु वैश्विक भागीदारी विकसित करना। प्रस्तुत तालिका दर्शाती है कि छह देशों में विविध सूचकों में बहुत अंतर है। उदाहरणार्थ, मातृत्व मृत्यु का अनुपात श्रीलंका और चीन में ६० है, जबकि बांग्ला देश में ६०० है, नेपाल में ९३० है। वैसे यह व्यक्त करना चाहिए कि इन देशों में मातृत्व के बारे में विश्वसनीय सूचना एकत्र करना बहुत कठिन है, भारत के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही सच है।

अन्य मुद्दे

अब हम प्रतिवेदन में उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर मुड़ें। उसमें गरीब वृद्धों की जरूरतों के बारे में भी कहा गया था। वह कहता है कि 'वृद्धों के कल्याण हेतु गरीबी मुख्य खतरा है। विकासमान देशों में से ६५ से बड़ी उम्र के ४० करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। सन् २०१५ तक जबरदस्त गरीबी में जीने वाले लोगों की तादाद कम करने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को पाने के लिए गरीबी घटाने की व्यूह रचनाओं में सबसे गरीब लोगों और सबसे कमजोर वृद्धों तथा खास तौर से स्त्रियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गरीबी का जो चक्र चलता है, उसे तोड़ना चाहिए।' दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा वैश्वीकरण की भूमिका के बारे में है। यह प्रतिवेदन इस मुद्दे में बहुत स्पष्ट है। यह कहता है कि, 'वैश्वीकरण गरीबों के लिए एक अवसर बनना चाहिए, पर बहुधा वह उस तरह काम नहीं करता। वैश्वीकरण बाजारों को खोलता है, परंतु बाजार तो उनको ही लाभ पहुचाता है, जिसका बाजार में समावेश होता है। सर्वाधिक गरीब लोग

शेष पृष्ठ 27 पर

स्थानीय शासन में दलितों का नेतृत्वः संवैधानिक संशोधन बनाम वास्तविकता-साबरकांठा जिले का अध्ययन

प्रस्तुत लेख 'उन्नति' के **श्री तापस सतपथी** द्वारा लिखा गया है। इसे 'नागरिकता और शासन' विषयक दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया था। उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले की ग्राम पंचायतों में दलितों के आर्थिक-सामाजिक विकास के मार्ग में आये अवरोधों की इस लेख में चर्चा की गई है और दलितों के नेतृत्व के विकास में क्या-क्या बाधाएँ उपस्थित होती हैं, यह दर्शाया गया है। अनुभव के आधार पर उन्होंने परिस्थिति में सुधार लाने के कुछ ठोस सुझाव भी दिये हैं।

संदर्भ

७३वें संविधान संशोधन ने भारतीय राजनीति में सहभागिता विकेंद्रीकरण तथा खुले लोकतंत्र के तत्व दाखिल किये हैं। इस संशोधन ने पंचायतों को कानूनी, प्रशासनिक तथा क्रियान्वयक हक दिये हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सभी बैठकों और पदों के लिए की गई हैं। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वजह से शासन में भागीदार बनने का तथा विकासपरक प्रवृत्तियों के बारे में निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसने सामाजिक न्याय की स्थापना की तथा कमजोर वर्गों तक आर्थिक विकास के लाभ ले जाने की संभावनाएं बढ़ाई हैं। अतः ऐसी अपेक्षा थी कि ७३वां संविधान-संशोधन पंचायतों में महिलाओं तथा अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों का नेतृत्व स्थापित करेगा।

इन तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के कमजोर वर्ग सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास के मामले में वंचित रहे हैं। दलितों की स्थिति बिगड़ी है और सामाजिक भेदभाव तथा उनके विरुद्ध अत्याचारों की वजह से वे एक किनारे फेंक दिए गए हैं। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से गुजरात विकसित राज्य होते हुए भी पिछड़ा है। दलितों की आबादी की दृष्टि से गुजरात १४वें स्थान पर हैं लेकिन अत्याचारों की दृष्टि से भारत में यह तीसरे स्थान पर है।

७३वें संविधान संशोधन ने स्वशासी संस्था द्वारा अपने विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनने के लिए समाज के दुर्बल वर्गों को पूरा अवसर प्रदान किया हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन व्यवहार में नेतृत्व और सहभागिता के बीच का द्वन्द्व प्रतिबिम्बित होता है। स्थानीय स्वशासन में दलितों का नेतृत्व नगण्य रहा है, इसके प्रमाण में ढेर सारे उदाहरण हैं। जब-जब उन्होंने अपनी भूमिका को मजबूत करने पर बल दिया है, तब-तब या तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पंचायत से बाहर फेंक दिये गए हैं अथवा यदि वे अविश्वास का सामना करना न चाहें तो ऊंची जातियों के प्रतिनिधियों की डमी के रूप में उनसे काम करने की अपेक्षा की जाती है।

संविधान संशोधन बनाम वास्तविकता

साबरकांठा जिले की ईडर तहसील की भवानगढ़ पंचायत का अनुभव इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। ७३वें संविधान संशोधन से पूर्व ऊंची जाति के लोग सरपंच के रूप में चुने जाते थे लेकिन नयी संवैधानिक व्यवस्था के पश्चात् दो सीटें दलितों हेतु आरक्षित हुई। ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित को इस शर्त पर सरपंच बनने का निमंत्रण दिया कि वह सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठेगा और पंचायत में वे जिस कप में चाय पीते हैं, उस कप में चाय नहीं पीयेगा। तब वह एक सरंपच चुना गया और ऊंची जाति का एक व्यक्ति उप सरपंच बना। वास्तविक सत्ता तो ऊंची जाति के आदमी के पास ही रही। उस व्यक्ति की भूमिका उप सरपंच की सूचनाओं के अनुसार बिलों पर तथा पंचायत के अन्य कागज़ों पर हस्ताक्षर करने तक ही सीमित रही। सरपंच को इस अन्याय का पता था पर उनका विरोध करने को हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए ऊंची जाति की कठपुतली के रूप में काम करने को वह मज़बूर था।

भवानगढ़ का उदाहरण कोई बेजोड़ नहीं। सविता बहन का उदाहरण कुछ अलग है। साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर तहसील की ग्राम पंचायत की सरपंच के रूप में वे १९९५ में चुनी गई थी। पंचायत घर में अपने पहले दिन ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे ऊंची जातियों के प्रतिनिधियों की मुहर नहीं बनेंगी। वे मेहनती कार्यकर्ता थी अतः

समय गँवाये बिना कई विकसपरक काम हाथ में ले लिये। पंचायत के संचित धन का उपयोग करके उन्होंने १२०० फुट लंबी आर. सी.सी. सड़क बनवाई, ७०० फुट लंबी पानी की पाइप लाइन डलवाई तथा पानी की टंकी व कम्युनिटी हॉल बनवाया, बिजली की मोटर लगवाई और दूसरे कई ऐसे काम करवाये। ऐसी सार्वजनिक सुविधा करने के अलावा उन्होंने विकलांग लोगों तथा जरूरतमंद परिवारों को सरकार की विविध योजनाओं का लाभ दिलाया।

उनके कामों ने उन्हें ग्रामवासियों में लोकप्रिय बना दिया परंतु ऊंची जाति के लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। एक महिला और वह भी दलित, गांव के पुनरुत्थान हेतु यश ले लें, यह उनके लिए असहनीय था। उन लोगों के अनेक प्रयासों के बावजूद उन्होंने उनकी कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था। इससे वे पंचायत के सदस्यों में अकेली पड़ गई और उन लोगों ने सविताबेन के लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर दीं। विशेष रूप से उच्च जाति के सदस्यों ने उन पर आरोप लगाया कि हैंड पंप के पैसों का गबन किया है। वे जानती थीं कि उन पर झूठा इलजाम लगाया जा रहा है, उन्होंने कांट्रेक्टर से भुगतान की गई राशि की रसीद स्टेम्प पेपर पर ले ली थी। कांट्रेक्टर सारा ब्यौरा देने को सहमत था। जो राशि काम में नहीं आई थी, उसे सविता बेन ने पहले ही तहसील पंचायत में जमा करा दिया था।

इसके बावजूद पंचायत के सदस्यों ने उनका अपमान करना और उन्हें मानसिक त्रास पहुँचाना जारी रखा। फिर उन लोगों ने ऐसा आक्षेप लगाया कि वे लोगों को सताने के लिए अत्याचार विरोधी धारा का उपयोग करने में लगी हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन ने उनके पक्ष में समर्थन किया कि सविता बेन ने कभी भी किसी को परेशान करने के लिए इस कानून का उपयोग नहीं किया था। जब यह प्रयास निरर्थक सिद्ध हो गया तो उन्होंने सविता बेन के चरित्र पर संदेह व्यक्त करके उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अंत में, पंचायत के सदस्य उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित करने में सफल हो गए। सारा गाँव सविता बेन के साथ था पर पंचायत के सदस्यों ने अपने बहुमत का उपयोग सविता बेन को पद से हटाने के लिए किया।

सविता बेन यों दबने वाली नहीं थी। वे हाथ पर हाथ रखकर घर बैठे नहीं रही। सातवीं कक्षा पास सविता बेन ने इस अन्याय के विरुद्ध लड़ना तय किया। वे फिर से सरपंच पद हेतु लड़ी और अविश्वास के प्रस्ताव से घर बिठा देने वाली सविता बेन फिर से भारी बहुमत से सरपंच चुनी गईं। यह उनकी लोकप्रियता का सबूत था। पर यह कोई उनकी मुसीबत का अंत न था। छह महीने बाद फिर से पंचायत सदस्यों ने ऐसा बताकर कि सविता बेन काम करने में अक्षम हैं, सरपंच पद से हटवा दिया।

सविता बेन का उदाहरण सिद्ध करता है कि संवैधानिक संशोधन दलितों के नेतृत्व को स्वीकृति देने में पर्याप्त नहीं। यद्यपि उन्होंने जो वापिस मुकाबला किया था, वह उनके नेतृत्व गुणों के प्रमाण हेतु पर्याप्त था। कानूनी खामियों की वजह से वे पूरे गाँव का समर्थन होने के बावजूद सरपंच पद पर नहीं रह सकीं। गुजरात पंचायत अधिनियम १९९३ के अनुसार पंचायत के सदस्य दो-तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरपंच को पद से हटा सकते है। ग्राम सभा के सदस्य ही सरपंच को चुनते हैं अतः यह अधिकार पंचायत के सदस्यों के पास नहीं, वरन् ग्राम सभा के सदस्यों के पास ही होना चाहिए।

सामाजिक न्याय समिति

गुजरात पंचायत अधिनियम के अनुसार तीनों ही स्तरों की पंचायतों में सामाजिक न्याय समिति का गठन करना अनिवार्य है। इस समिति का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना तथा भेदभाव दूर करना है। इस समिति के सदस्य दलित, आदिवासी और महिलाएं होती हैं। समिति को पंचायत स्तर पर किसी भी सामाजिक अन्याय के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार है। इस समिति के द्वारा पंचायत में भेदभाव होने का निवेदन किया जाए तो पंचायत का मिलने वाला अनुदान बंद हो सकता है। पिछले २८ वर्षों से यह समिति पंचायत अधिनियम का अंग है, परंतु अनेक पंचायतों में अब भी भेदभाव मौजूद हैं। पंचायत के उच्च जाति के सदस्य इस समिति के सदस्यों के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। पंचायत में उनके चाय के कप भी अलग-अलग रखे जाते हैं।

मोडासा तहसील की गढ़ा ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष मोंघाभाई चमार के प्रति उनकी पंचायत में ही भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। उनका चाय का कप भी अलग रखा जाता है और उनकी नाश्ते की व्यवस्था भी अलग होती है। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के नाते वे स्वयं इस भेदभाव के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, पर वे कहते हैं कि वे सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होते हुए भी इनके सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो इसी सामाजिक वातावरण में रहना है। उनके लिए यह अत्यंत विकट परिस्थिति है। यदि वे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अध्यक्ष के रूप में उपयोग करते हैं तो मुसीबत में पड़ जाएं। यदि वे इन अधिकारों का उपयोग न करें तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो हो ही रहा है। जब अन्याय के विरुद्ध कार्यवाही करने की सत्ता जिनके पास है, उसी के साथ ऐसा होता हो तो सामान्य व्यक्ति उससे बाहर आना तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों के नेतृत्व को स्वीकृति नही मिलने की बात जारी रहती है।

कई बार एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए दलितों को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। सोमाभाई रवाभाई चमार का किस्सा कुछ इसी प्रकार का है। वे १९९५ में साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर तहसील की कांकरोल ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए थे। सरपंच के रूप में उन्होंने अपनी पंचायत में कई विकासपरक काम किये। परंतु ऊंची जातियों के लोगों ने उन्हें सरपंच के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी पंचायत में पटवारी ऊंची जाति का था, उसने सोमाभाई को बराबर हैरान-परेशान किये रखा। कई बार पटवारी जानबूझ कर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देता ही नहीं था। अंत में सोमाभाई ने यह मुद्दा उच्च अधिकारियों के सामने उठाया और वे पटवारी की बदली कराने में सफल हो गए। लेकिन पटवारी अपना सिप्पा लगाकार बदली रद्द कराने में सफल हो गया।

इस घटना के बाद पटवारी ने पंचायत के ऊंची जाति के सदस्यों को सोमाभाई के विरुद्ध उकसाया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको सत्ता से दूर हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद पंचायत के सदस्यों ने दूसरी बैठक बुलाई। उसमें सोमाभाई के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया और गांव की टंकी का पानी विषैला बनाने का आरोप लगाकर उन्हें गांव से निकाल दिया गया। साबरकांठा के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के ध्यान में यह बात आई तो उन्होंने यह प्रस्ताव मानवाधिकार भंग के पेटे रद्द कर दिया। डीडीओं की मध्यस्थता की वजह से सोमाभाई का गांव से निष्कासन रुका। यदि डीडीओ के द्वारा ऐसा हस्तक्षेप न हुआ होता तो सोमाभाई का क्या होता।

प्रभावी नेता बनने के प्रयास में बहुधा सिर्फ दलित व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, वरन् पूरे समुदाय को प्रभावित होना पड़ता है। साबरकांठा जिले की प्रांतिज तहसील के वाघरोटा गांव के दलितों की कहानी कुछ ऐसी ही दर्दनाक है। गांव का पूरा दलित समुदाय अभी ऊंची जातियों के लोगों द्वारा सामाजिक व आर्थिक रूप से बहिष्कृत है। वे गांव की दुकान से कोई चीज नहीं खरीद सकते, न दूध मंडली से दूध खरीद सकते। अधिकांश दलित अपने जीवन निर्वाह के लिए उच्च जातियों के लोगों पर ही आधारित थे। अब वे फंस गए हैं। यह सब होने की शुरूआत इसलिए हुई क्योंकि उच्च जातियों के लोगों ने दलितों के श्मशान पर शाला बनवाना शुरू कर दिया था। एक दलित सरपंच के रूप में कमलेश भाई परमार ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने यह सवाल उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया। परिणामस्वरूप उनको अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा सरपंच पद से हटा दिया गया। इस गांव में पिछले एक वर्ष से दलितों का ऊंची जातियों के लोगों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है।

ऊपर दिये गये उदाहरण कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जो यह सिद्ध करते हैं कि स्थानीय स्वशासन में दलितों का नेतृत्व स्थापित करने की संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने का अवसर दलितों के लिए संविधान संशोधन वजह से आया है, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु वर्तमान कानून से बचाव के रास्तों की वजह से वे अपनी भूमिका उचित ढंग से निभा नहीं सकते।

नेता बनने की उनमें क्षमता होते हुए भी कभी-कभी वे उच्च जातियों के प्रतिनिधियों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का डर रहता है। जबरदस्त मुसीबतों के बावजूद यदि वे

अपनी भूमिका अदा करने का आग्रह रखें तो उनके सामने सविता बेन, सोमाभाई और कमलेश भाई जैसा परिणाम आता है। तमाम अवरोधों के सामने वे पूरी हिम्मत से लड़े हैं परंतु प्रचलित सामाजिक संस्कारों की वजह से और कानून में बच निकलने के छिद्रों तथा अन्य राजनीतिक कारणों से वे निष्फल रहे हैं। ऐसा नहीं, कि वे सामाजिक दृष्टि से जागृत न हों, पर यह जागृति उनसे बहुत बड़ा मूल्य मांगती है। जाति की मजबूत पकड़ की वजह से हमेशा उनके नेतृत्व के सामने खतरा रहता है, और वह उनकी प्रगति के सामने बहुत बड़ा अवरोध संवैधानिक सुधार दलितों को न्याय नहीं दे सकेगा।

सुझाव

स्थानीय स्वशासन का वास्तविक प्रयोजन तो समतापूर्ण समाज स्थापित करना है जिसमें सभी को स्थानीय संसाधन मिलते रहें और किनारे कर गए लोगों की आवाज भी महत्वपूर्ण बनी रहे। स्थानीय स्वशासन में दलितों के नेतृत्व को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न कदम उठाये जाने जरूरी हैं:

(१) दूर फेंक दिये गए वर्गों के नेतृत्व के सामने अवरोध खड़े करने वाले कानूनी छिद्रों को दूर करने हेतु पंचायत अधिनियम की समीक्षा करना।

(२) उपर्युक्त सभी अनुभव यह दर्शाते हैं कि लगभग सभी सरंपच अपने स्तर पर मुसीबतों का सामना करते हैं। उनको बाहर से कोई सहयोग-समर्थन नहीं मिला। हम सब जानते हैं कि एकता में ताकत है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी अन्याय के विरुद्ध लड़ना मुश्किल है, अतः अन्याय के समक्ष लड़ने के लिए सब इकट्ठे हों, यह जरूरी है। दलित सरपंचों के तहसील और जिला स्तरीय महामंडल से ही यह संभव हो सकता है। महामंडल का सहारा उन्हें तमाम मुसीबतों से लड़ने के लिए प्रेरणा देगा।

(३) अनुसूचित जातियों के लोग पंचायती राज की वर्तमान कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। समाज-विज्ञानी आर.पी.देसाई के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार ९० प्रतिशत पंचायतों में भेदभाव प्रचलित है। मध्य और दक्षिण गुजरात में कई ग्राम पंचायतों ने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, परंतु बाकी के इलाकों में दलितों के प्रति भेदभाव चालू रहा हैं। कई गांवों में तो उनको सार्वजनिक कुओं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता। इस अध्ययन का यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता, संचार माध्यम, विद्धान और स्वैच्छिक संस्थाएं सवर्णों और दलितों के बीच की खाई दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भेदभाव तथा अन्य समस्याओं के मामले में वे दोनों समुदायों को संवेदनशील बना सकते हैं।

(४) तीनों स्तरों की पंचायतों में सामाजिक न्याय समितियों का गठन करना अनिवार्य हैं। परंतु अनेक कारणों से सामाजिक न्याय समितियां अपने को पूरा करने में निष्फल रही हैं। उनकी प्रभावहीनता का सबसे महत्वपूर्ण कारण पंचायतों की कार्यवाही में ऊंची जातियों के लोगों का प्रभुत्व है। कई पंचायतों में तो ये समितियां सिर्फ कागज पर ही हैं। यहां संबंधित सत्ताधिकारी इन समितियों की रचना करें और इस बात पर ध्यान दें कि ये काम करने लगें, यह आवश्यक है। ग्राम पंचायत की न्याय समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार हों और वे जिला विकास अधिकारी को सौंपे जाएं, यह जरूरी है। इन प्रतिवेदनों के आधार पर डी.जी.ओ को जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए। सामाजिक न्याय समितियों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देनी चाहिए। सामाजिक रीति से वंचित वर्गो हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय समितियों द्वारा होना चाहिए।

(५) सभी ग्राम पंचायतों की वित्तीय आडिट की तरह सामाजिक आडिट भी अनिवार्यतया होनी चाहिए।

(६) पंचायत के बजट का कुछ हिस्सा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु आवंटित किया जाना चाहिए। जो पंचायत इसका अमल में लाने से निष्फल रहे, तो संबंधित विभाग को अधिकार होना चाहिए कि वह उस पंचायत को सस्पेंड करे।

(७) दलित सरंपच और पंचायत के सदस्यों पर अत्याचार के बारे में सामाजिक न्याय विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए, तथा उसे विधान सभा में प्रस्तुत करना चाहिए।

गतिविधियां

कौमी एकता के प्रयास हेतु पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

गुजरात में कौमी एकता बनाये रखने के सभ्य समाज के प्रयास के संबंध में 'चरखा-विकास-संचार नेटवर्क' द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं हेतु सितंबर २००२ में एक लेखन स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें गुजरात की विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के कुल ८० लेख आये थे। स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने तथा गुजरात में शांति एवं सद्‌भाव सुरक्षित रखने में दृष्टांत स्वरूप भूमिका अदा करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम ८ फरवरी, २००३ को अहमदाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सूरत के 'सेंटर फॉर सोशियल स्टडीज' के निदेशक श्री विद्युतभाई जोशी के द्वारा पुरष्कार प्रदान किये गए थे। लेखन स्पर्धा में विजयी प्रथम पांच सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के नाम निम्नानुसार हैं:

प्रथम विजेता : दिलशाद बहन शेख, सेवा अकादमी, अहमदाबाद
द्वितीय विजेता : शमीम बहन तराजिया, स्वाति, सुरेन्द्रनगर
तृतीय विजेता : निरवभाई पटणी, आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत), कच्छ
चतुर्थ विजेता : नमिता बहन खरीदिया, श्री महिला सेवा अनुसूया ट्रस्ट, अहमदाबाद
पंचम विजेता : इब्राहिम भाई तुर्क, कच्छ महिला विकास संगठन, कच्छ

उपर्युक्त सभी विजेताओं को स्मृतिचिह्न तथा प्रथम विजेता को २००० रु., द्वितीय को १५०० रु., तृतीय को १००० रु., चतुर्थ को ५०० रु. तथा पंचम विजेता को भी ५०० रु. नकद पुरस्कार प्रदान किये गए।

गुजरात में शांति एवं सद्‌भाव बनाये रखने के दृष्टांत स्वरूप भूमिका निभाने वाले १५ नागरिकों का कार्यक्रम के दौरान स्मृति चिह्न अर्पण करके सम्मान किया गया था। लेखन-स्पर्धा में आये

लेखों में से दृष्टांत, प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां दर्शाने वाले लेख चुनकर 'चरखा' के द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई है। 'मानवता नो मारग' नामक इस पुस्तक का लोकार्पण श्री विद्युत भाई जोशी के हाथों सम्पन्न हुआ था। कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटि साइंस सेंटर, अहमदाबाद की वैज्ञानिक श्री सोनल बहन मेहता तथा गुजरात युनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग की अध्यापिका श्री सोनल बहन पंड्या ने 'मानवता नो मारग' पुस्तक से कुछ आंशिक वाचन किया था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 'चरखा' के ट्रस्टीगण श्री इन्द्रकुमार श्री बिनोय आचार्य तथा श्री अपूर्व भाई ओझा ने प्रासंगिक उद्‌बोधन किये थे। कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सद्‌भावना बनाये रखने हेतु दृष्टांत स्वरूप भूमिका अदा करने वाले नागरिक तथा पत्रकारों सहित सौ से अधिक लोग उपस्थित थे। 'मानवता नो मारग' पुस्तक प्राप्त करने तथा अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क : 'चरखा', ७०२, साकार-चार, एम.जे. लाइब्रेरी के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००६, फोन: ६५८३३०५.

राज्य स्तरीय पंचायत महिला महोत्सव

गुजरात में एक वर्ष पहले हुए चुनाव में लगभग ३५,००० महिलाएं सरपंच एवं महिला सदस्य चुनी गई हैं। इससे पूर्व चुनी गई महिला सरपंचों द्वारा अपने गांव के विकास हेतु सफल नेतृत्व प्रदान करने के अनेक दृष्टांत मौजूद हैं। उनके संघर्ष तथा सफलता के अनुभवों से नयी ग्राम विकास में महिलाओं के नेतृत्व को गति मिले तथा

व्यापक जन-समुदाय तक महिलाओं के कार्यों की महक फैले, इस उद्देश्य से अहमदाबाद में 'पंचायत महिला महोत्सव' आयोजित हुआ। 'द हंगर प्रोजेक्ट', 'महिला स्वराज अभियान', 'पश्चिम भारत पंचायती राज मंच', गुजरात विद्यापीठ के 'प्रौढ़ शिक्षा विभाग' तथा 'उन्नति-विकास शिक्षण संस्था के संयुक्त उपक्रम से दिनांक १२-१३ मार्च २००३ के दौरान गुजरात विद्यापीठ के प्रांगण में यह महोत्सव हुआ था। महोत्सव में महिला सरपंचों, सदस्यों, स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं, सरकारी प्रतिनिधियों आदि को मिलाकर कुल ७०० से अधिक लोगों ने भाग लिया था। पंचायत से जुड़ी हुई महिलाओं की पंचायती राज के विविध पहलुओं की जानकारी मिले, इस उद्देश्य से महोत्सव के दौरान अलग-अलग समूह गठित करके विविध प्रवृत्तियां आयोजित की गई थी। एक समूह में ग्राम पंचायत की मीटिंग के बारे में सहभागियों के द्वारा नाटक प्रस्तुत करके जानकारी दी गई। इसी भांति ग्राम सभा में बहनों की भागीदारी बढ़े, ग्राम विकास कार्यों के आयोजन में बहनों की सहभागिता बढ़े तथा एक आदर्श ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित होती रहे, इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक अन्य समूह में ग्राम सभा आयोजित की गई। सरपंच बहनें अपने गांव के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सवालों के हल के बारे में समझ विकसित करें, इस नाते प्रश्न मंजूषा का खेल रचा गया। महोत्सव के दौरान सरस खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी विविध विषयों की जानकारी प्रदान की गई।

इस महोत्सव के दौरान जाने-माने कार्यकर्त्ता, विषय विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा कई महिला सरपंचों ने उपस्थित होकर प्रासंगिक उद्‌बोधन किये थे। महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, जातीय समानता, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा (बीमा) आदि मुद्दों के विषय में चेतना, गणतर, डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, माहिती, स्वाति, प्रवाह, असाग, कच्छ महिला विकास संगठन, सेवा, उन्नति आदि स्वैच्छिक संस्थाओं और डी.पी.आई.पी., अहमदाबाद जिला पंचायत, गुजरात विद्यापीठ के प्रौढ़ शिक्षा विभाग तथा नवभारत साहित्य मंदिर, स्टाल्स द्वारा जानकारी प्रदान की गई और निदर्शन प्रस्तुत किए गए। महोत्सव के दौरान सरपंच बहनों की मांगों का आवेदन पत्र राज्य के विकास कमिश्नर श्री पी. डी. वाघेला को सौंपा गया। इसमें मुख्य मुद्दे निम्नानुसार थे:

- सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा की सहमति हो तभी क्रियान्वित किया जाए, ऐसी कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि सरपंच को सम्पूर्ण गांव चुनता है। फिर, सरपंच को हटाने का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा जाता है तो सरपंच सिर्फ पंचायत के प्रति ही नहीं, वरन् ग्राम सभा के प्रति भी उत्तरदायी रहता हैं।
- ग्राम सभा में महिलाओं से संबंधित मुद्दों की चर्चा और उसके लिए कोरम में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।
- महिलाओं को अपनी नेतृत्व शक्ति विकसित करने का अधिक अवसर देने के लिए यदि पंचायत में महिला के लिए आरक्षित सीट हो तो उसे लगातार दो कार्यकालों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायत के कुल बज़ट (प्रशासनिक खर्च के सिवाय) की ३० प्रतिशत राशि महिला विकास के लिए काम में लेनी अनिवार्य होनी चाहिए।
- महिला सरपंच पर आधे कार्यकाल तक अविश्वास की अर्जी न लाई जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक न्याय समिति गठित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसका छह माह की समयावधि में गठन हो जाना चाहिए क्योंकि उचित आबादी तथा समय के बंधन के अभाव में समिति प्रायः गठित नहीं होती, इस समिति में अल्पमत वाले समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

आदिवासी निर्माण-कार्य मजूदरों की रैली

अहमदाबाद और गुजरात में कार्यरत 'निर्माण कार्य मजदूर संगठन'

के तत्वावधान में लगभग १००० स्थलांतरित आदिवासी निर्माण-कार्य मजदूरों ने अहमदाबाद में दिनांक ३.३.०३ को एक रैली निकाली थी। यह रैली गांधी आश्रम से दोपहर १२ बजे निकली थी और वह लाल दरवाजे के पास सरदार बाग पहुंची थी, जहां वह सभा के रूप में बदल गई थी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारत की संसद द्वारा १९९६ में निर्माण-कार्य मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए किये गए दो कानूनों का क्रियान्वयन गुजरात में हो, इसके लिए गुजरात सरकार पर दबाव डालना था। ये दो कानून हैं: (१) मकान तथा अन्य निर्माण कार्य मजदूर (रोजगार नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम-१९९६ (२) मकान तथा अन्य निर्माण कार्य मजदूर कल्याण सेस अधिनियम-१९९६। सरदार बाग में सभा को 'जनपथ' के अध्यक्ष श्री इन्दुकुमार जानी, व्यंग्य लेखक श्री हेमंतकुमार शाह, डॉ. सिद्धराज सोलंकी, श्री हरीणेश पंड्या आदि ने संबोधित किया। इस रैली में खेत मजदूर यूनियन, वन मजदूर मंडल, बनासकांठा मजदूर मंडल, एकलव्य संगठन और दक्षिण गुजरात निर्माण कार्य मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने भी उपस्थिति दी थी। इस रैली में गुजरात सरकार के सामने २१ मागें रखी गई थी। और बाद में सत्ताधिकारियों को भिजवा दी गई थी। इन मांगों में से कुछ मुख्य मांगें निम्नानुसार है: (१) शहर में स्थालांतरण करने वाले आदिवासी मजदूर को उसके वतन में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। (२) शहर में आने वाले आदिवासी मजदूरों के रात्रि विश्राम और रहने के लिए रैन-बसैरा योजना क्रियान्वित की जाए। (३) शहर में खुली और परती भूमि पर से आदिवासी निर्माण कार्य मजदूरों को हटाना बंद किया जाए। (४) मजदूरी हेतु स्थलांतरण करने वाले आदिवासी मजदूरों को ग्राम पंचायत के द्वारा पहचान-पत्र दिया जाए और तहसीलदार के कार्यालय में उसको अनिवार्यतः नोट किया जाए। (५) निर्माण-कार्य के सभी स्थानों पर मजदूर-कानूनों की व्यवस्था का चुस्ती के साथ पालन हो। (६) निर्माण-कार्य के दौरान दुर्घटना के शिकार बने मजदूरों के लिए खर्चे तथा नुकसान के मुआवजे की व्यवस्था की जाए।

एकलव्य संगठन के मंत्री श्री लालसिंगभाई और निर्माण कार्य मजदूर संगठन के महामंत्री श्री विपुल पंड्या ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि तीन महीनों में इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर गांधीनगर में धरना आयोजित किया जाएगा। सम्पर्क: श्री विपुल पंड्या, निर्माण कार्य मजदूर संगठन, ८ मंगलदीप फ्लैट्स, चंद्रभागा पुल के पास, गांधी आश्रम, अहमदाबाद-३८००२७, फोनः ७५५९८४२, ७५५२७४१।

अन्न अधिकार अभियान

'अन्न अधिकार अभियान' के तत्त्वावधान में संगठित विविध जन-संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों ने ११ से १३ मार्च २००३ के दौरान मुंबई के आजाद मैदान में प्रतीक उपवास तथा धरने का कार्यक्रम रखा था। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के आरंभ में ही इसे आयोजित किया था। वहां लगभग १००० लोगों ने प्रतीक उपवास में भाग लिया था। राज्य की अनाज सुरक्षा की योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं हेतु सरकार के खर्च में वृद्धि हेतु उसमें मांग की गई थी। मुंबई में उस समय अलग-अलग इलाकों में इसी बात को लेकर जन सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने तथा उसका निजीकरण करने के प्रयासों के सामने विरोध करने हेतु वह प्रदर्शन किया गया था। महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) के लिए खर्च १९९७-९८ में ५४० करोड़ रु. था और वह २००२-०३ में ५६ करोड़ रु. रह गया था। राज्य के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग एक प्रतिशत खर्च राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए १९८५-८६ में करती थी। जो १९९०-९१ में घट कर ०.८ प्रतिशत रह गया था, और वह २००२-०३ में तो ०.६ प्रतिशत ही रह गया। रिक्त स्थान भरे नहीं जाते और आवश्यक दवाएं मिलती नहीं इत्यादि शिकायतें लगभग स्थायी हो गई है। 'मध्याह्न भोजन योजना' के लिए भी खर्च घटा दिया गया है, इससे भी अनाज सुरक्षा पर जोखिम आ गया है। ये तमाम मुद्दे सरकार व लोगों के ध्यान में लाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्पर्क: श्री अभय शुक्ल तथा श्री अनंत फड़के, ई-मेलः cehatpun@vsnl.com

निर्माण-कार्य सुरक्षा पदयात्रा

कच्छ में भूकंप के दो वर्ष पूरे होने पर, अब भचाऊ नगर की सुरक्षा का सवाल महत्त्व का है। पैसों की तंगी थी, जानकारी रखने वाले दक्ष मजदूर मिलते नहीं थे और नया माल सामान लाना संभव न था, तब कई लोगों ने अपने मकान निर्माण कार्य की उचित

जानकारी के बिना ही बनवा लिये थे, अतः वे खतरनाक हैं। इसलिए 'उन्नति' ने 'भचाऊ विस्तार विकास सत्ता मंडल' (भाडा) तथा 'गुजरात राज्य आपदा संचालन सत्ता मंडल (जीएसडीएमए) के साथ संयुक्त प्रयास से दिनांक २०.१.२००३ को एक पदयात्रा का आयोजन किया था। उसमें लोगों को सहभागी बनाकर 'घर सुरक्षित, ग्राम सुरक्षित' का विचार लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस बारे में आमंत्रण पत्रिकाएं तथा भूकंपरोधक तंत्र की जानकारी देने वाली प्रक्रियाएं शहरी लोगों तथा सरकारी अधिकारियों और अलग-अलग क्षेत्रों के अग्रणी नागरिकों को वितरित की गई। सुरक्षा का महत्त्व समझाने वाले घर के मॉडल, भूकंपरोधक तंत्र के सचित्र भित्तिपत्रों एवं पत्रिकाओं से चार शिक्षण-रथ सुशोभित किये गए। इसके उपरांत निर्माण कार्य मजदूरी के नियमों की पत्रिका भी बड़ी तादाद में वितरित की गई। लोग खुद अपने घर की मजबूती को माप सकें ऐसे पैम्फ्लेट्स डिजाइन कराये गये। पद यात्रियों के लिए नारे लिखी टोपियां तैयार कराई गई। शहर के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम के बैनर्स लगवाये गए तथा माइक-रिक्से से भी घोषणाएं की गई। कड़िया-कामदार प्रगति मंडल, विकलांग मंडल, हिंमतपुरा मित्र मंडल, जूनावाड़ा युवक मंडल जैसे स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग साधा गया तथा पदयात्रा के दौरान चर्चा-सभाओं का आयोजन हुआ। पदयात्रा प्रातः ९ बजे 'भाडा' के कार्यालय के 'नागरिक सहयोग केंद्र' से शुरू हुई। वह पानी की टंकी, भटपालिया, वोंध नाका, लीमड़ी चौक, हिंमतपुरा, परेड ग्राउन्ड, बस स्टेशन, सीतारामपुरा, जूनावाडा, हनुमान मंदिर इत्यादि इलाकों में घूमकर जय माताजी चौक में समाप्त हुई। पदयात्रा के आरंभ के समय 'भाडा' तथा 'जीएसडीएमए' के अधिकारियों ने भी उपस्थिति दी थी। अंत में जय माताजी चौक में विविध मोहल्लों से आए नागरिकों के साथ दिन के दौरान हुए अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ तथा सुरक्षित मकान बनवाने के संकल्प के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। सम्पर्कः पुनर्निमाण सहयोग केन्द्र, हेलिपेड के बगल में, भचाऊ-कंडला हाईवे, भचाऊ। फोनः ०२८३७-२२४१३२, ९८२५२३४०२३.

दलितों पर अत्याचारों के बारे में सार्वजनिक सुनवाई

बनासकांठा के पालनपुर में २२ व २३ फरवरी २००३ को दलितों पर हुए अत्याचार के बारे में एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था। उसमें दलितों की जमीनें छीनने के बारे में, अस्पृश्यता की घटनाओं के बारे में तथा दलितों पर अन्य अत्याचारों के मामलों में पेशी हुई थी। न्यायविद के रूप में इसमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजस्थान की सुश्री अरुणा राय, गुजरात के पत्रकार श्री दिगंत ओझा और दलित कर्मशील डॉ. नीतिन गुर्जर उपस्थित थे। सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन अहमदाबाद के 'बिहेवियेरल साइंस सेंटर' द्वारा कराया गया था।

बनासकांठा के इस केन्द्र द्वारा 'बनासकांठा दलित संगठन' बनाया गया है, जो पिछले तीन वर्षों से बनासकांठा जिले में काम कर रहे है। दलितों की ज्यादातर समस्याएँ अनसुलझी रही हैं, इसी से इस सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था। दो दिनों की सुनवाई के दौरान गुजरात की तथा बनासकांठा की दलितों की परिस्थिति की तुलना के साथ पेशी हुई थी और पहले दिन शाम को क्षेत्रीय मुलाकात भी आयोजित की गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्याचार और उसके अलावा एक के बाद एक किस्सों की विगतवार पेशियां हुई थी तथा खुली बैठक तथा पत्रकार परिषद भी आयोजित की गई थी। सम्पर्कः बिहेवियेरल साइंस सेन्टर, सेंट जेवियर्स कॉलेज केम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८०००१, फोनः ०७९-६३०४९२८, ६३०३५७७, फैक्सः ०७९-६३०७८४५, ई-मेलः sxgfesad1@sancharnet.in

प्राकृतिक आपदा और महिलाओं के विषय में विचार गोष्ठी

प्राकृतिक आपदा का महिलाओं पर प्रभाव और पुनर्वास में महिलाओं

की भागीदारी और विशेष जरूरतों के बारे में समझ विकसित करने के लिए इस विचार गोष्ठी का आयोजन 'उन्नति' व 'सेतु' द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को किया गया था। भचाऊ की इस गोष्ठी में कच्छ जिले की भचाऊ तहसील की ७५ ग्राम पंचायतों की महिला सरपंच, महिला सदस्य और महिला संगठनों के अगुआ उपस्थित थे। पुनर्वास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और विशेष आयोजनों के बारे में उसमें सह-चिंतन किया गया था। पिछले दो वर्षों से पुनर्वास में संलग्न संस्थाओं की महिला कार्यकर्त्री भी इसमें जुड़ी थी। कार्यक्रम का शुभारंभ कुंभारड़ी गांव की ग्राम पंचायत की सदस्या सुश्री रुकल बहन के द्वारा किया गया था। महिलाओं के महत्व के प्रश्नों के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। इसमें स्वास्थ्य, जल, शिक्षा तथा रोजगार की समस्याओं को रेखांकित किया गया। पंचायत के प्रतिनिधियों तथा अग्रणी महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है, इस बारे में इसमें विचार विमर्श हुआ और पंचायतों में महिलाएं कैसे सक्रिय हों, इस मुद्दे को अलग से निकाला गया। इसमें तीन भावी कार्यक्रम तय किये गए: (१) महिला सरपंचों का एक संगठन खड़ा करना। (२) माह में एक दिन महिला सरपंच भचाऊ में इकठ्ठी हों और समस्याओं तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करें। (३) प्रत्येक सहभागी अपने गांव में विविध समस्याओं और उनके समाधान की भूमिका के बारे में बातचीत करेगा। सम्पर्क: 'उन्नति', भचाऊ।

विकलांगों हेतु अवरोध मुक्त वातावरण के बारे में सार्वजनिक सभा

अहमदाबाद में लॉ गार्डन में दिनांक २०-३-०३ को 'उन्नति', हैंडिकेप इंटरनेशनल तथा अंधजन मंडल के संयुक्त उपक्रम में विकलांगों हेतु अवरोधमुक्त वातावरण बनाने बाबत जागरूकता फैलाने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। मकानों, परिवहन, सड़कों, बगीचों व अन्य स्थानों में विकलांग लोग आसानी से घूम-फिर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज अधिकांश जगहों पर विकलांग लोग नहीं जा सकते अथवा उनके वहां जाने में जबरदस्त मुसीबत होती है अथवा वे स्थान उनके लिए असुरक्षित हैं। इन तमाम स्थानों को वृद्धों एवं विकलांगों के लिए अधिक प्राप्य बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

अहमदाबाद के मेयर श्री हिंमतसिंह पटेल, लायंस क्लब इंटरनेशनल के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री जीतूभाई शाह तथा अंधजन मंडल की ट्रस्टी श्रीमती नंदिनी बहन मुन्शा सहित अनेक अग्रणी उसमें उपस्थित थे। इनके अलावा अग्रणी स्थपति, नगर आयोजक, बिल्डर, डिजाइनर, नीति निर्धारक, पत्रकार, विकलांग तथा अन्य संबंधित नागरिक भी इसमें उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद सभी लोगों ने बगीचे में एक चक्कर लगाया और विकलांग लोगों को बगीचें में क्या-क्या अवरोध उपस्थित हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया। अहमदाबाद में जो अवरोध-मुक्त मकान हैं, उनके चित्रों की एक प्रदर्शनी भी इल लिए लगाई गई थी। इससे यह साबित हुआ था कि अवरोध-मुक्त वातावरण पैदा करना मुश्किल नहीं है। 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' की सुश्री अर्चना, जाने माने स्थपति श्री बिमल पटेल, अंधजन मंडल के प्रशासनिक निदेशक डॉ. भूषण पूनानी, मेयर श्री हिंमतसिंह पटेल तथा 'उन्नति' के निदेशक श्री बिनोय आचार्य ने इस अवसर पर उद्बोधन किया था। अहमदाबाद में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम था। सम्पर्क: 'उन्नति '।

'सहभागी वन-कल्याण में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका' विषयक कार्यशाला

मानव के विकास तथा पर्यावरण से संतुलन हेतु प्राकृतिक संपदा के अंग समान वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। वन-संरक्षण तथा संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा १९८८ में बनाई गई नयी राष्ट्रीय वन नीति में लोक भागीदारी पर बल दिया गया था। नयी राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करने वाले भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने १९९० के जून माह में प्रत्येक राज्य को एक परिपत्र भेजकर वन विकास के काम में लोक-भागीदारी बढ़ाने

संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके अनुसार गुजरात सरकार ने वन के पुनःनिर्माण तथा विकास के संदर्भ में मार्च १९९१ में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही इतिहास में सहभागी वन व्यवस्था नामक एक नया सोपान शुरू हुआ। वन विभाग के इस विकासपरक कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्था का सहयोग मिलने पर स्थानीय लोगों की भागीदारी उल्लेखनीय बन गई। फिर भी सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम को फैलाने के लिए अधिक से अधिक स्थानीय लोगों तक पहुंचना जरूरी है। यदि अधिक स्वैच्छिक संस्थाएं जुड़ती हैं तो लोक में जागृति आती है तथा लोक भागीदारी में वृद्धि होती है। उसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम गतिशील बनता है। परिणामतः ज्यादा स्वैच्छिक संस्थाएं इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं और सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में उनकी भूमिका स्पष्ट बनती है - इस प्रयोजन से 'विकसत' संस्था और गुजरात सरकार के वन-विभाग के उपक्रम से दिनांक २७-२८ फरवरी, २००३ के दौरान 'सहभागी वन व्यवस्था में स्वैच्छिक संस्था की भूमिका' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला गांधी श्रम संस्थान में आयोजित की गई।

कार्यशाला के अतिथि-विशेष गुजरात राज्य के मुख्य वन संरक्षक श्री एस.के.गोयल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि सहभागी अभिगम वन विभाग हेतु बहुत नया नहीं है। पहले भी वन विभाग ने लोगों की सहभागिता से सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम सुंदर रूप से चलाया हैं। जबकि 'विकसत' की मैनेजमेंट कौंसिल के सदस्य श्री वी.बी. ईश्वर ने बताया था कि वन विभाग की रणनीति को गरीबी निवारण कार्यक्रम के भाग के रूप में पहचानना जरूरी है। इस नयी वन नीति के मुताबिक आय-वृद्धि के साथ स्थायित्व भी आये, इसके लिए अल्प अवधि के सूक्ष्म आयोजन होने चाहिए। इसके उपरांत, जो ग्रामवासी वन-सरंक्षण का काम करते हैं उन्हें वन के उत्पादों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम को कोई पांच या दस वर्ष की योजना न मानते हुए एक सक्रिय आंदोलन का विरुद प्रदान किया।

इस कार्यशाला के दौरान दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह प्रकाश में आई थी कि विकासपरक कार्यों में गांव वासियों को केन्द्र में रखा जाए तो विकास का रास्ता सहज ही पार किया जा सकता है। साथ ही विकासपरक सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागित यदि बढ़ायी जाए तो उनके द्वारा अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आजादी से पहले भी उड़ीसा, बिहार तथा हाल के झारखंड जैसे राज्यों में स्वयं प्रेरित वन व्यवस्थापन की सेवा चल रही थी। बाद में अनेक कारणों से यह व्यवस्थापन सेवा समाप्त हो गई थी, फिर भी गुजरात राज्य में सहभागीदारी की विभावना को पुनः स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ना जारी है, यह एक शुभ संकेत है। श्री वी.बी. ईश्वर ने कार्यशाला को शुभेच्छा देते हुए कहा था कि सब साथ मिल कर वन को निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ाने है।

'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' के अध्यक्ष श्री अनिलभाई शाह ने सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में खर्च-लाभ अध्ययन के निष्कर्ष एवं महत्तम लाभ हेतु सूचित अभिगम विषय पर अपने अनुभव प्रस्तुत किये थे। इसके उपरांत सहभागी वन व्यवस्था कार्यक्रम में काम करने वाले विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की तरफ से भी अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया गया था। उसमें आनंद निकेतन आश्रम रंगपुर की ओर से अधिकार पत्र प्राप्त करने के अनुभवों, 'विकसत' की ओर से स्थानीय आयोजन की प्रक्रिया तथा उसकी मंजूरी प्राप्त करने के अनुभवों, तथा वन विभाग और ग्राम संगठनों के बीच समझौता करने के बारे में, सद्‌गुरु फाउन्डेशन की ओर से डिवीजनल लेवल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अनुभवों और संगठन क्षमता मंच प्रतिनिधि की ओर से गौण वन पैदाइश प्राप्त करने के अनुभवों का वर्णन किया गया था। सम्पर्कः 'विकसत', थलतेज टेकरो, अहमदाबाद ३८० ०५४. फोनः ६८५६२२०, ६८५३८३९.

नागरिकता तथा शासन के विषय पर सम्मेलन

'पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया' (प्रिया) द्वारा नई दिल्ली में १२ से १४ फरवरी के दौरान 'नागरिकता और शासन': पहचान, आवाज और समावेश की समस्याएं विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा और ब्रिटेन के १३० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें विद्धान थे और प्रयोग करने वाली संस्थाएं, सरकार व उद्योगों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने किनारे कर दिये गए लोगों की सामाजिक व राजनीतिक बादबाकी, शासन की प्रक्रिया में कमजोर वर्गों के उद्‌भव में विद्यमान चुनौतियों, किनारे कर दिये गए लोगों द्वारा अधिकार प्राप्ति के प्रयासों के आगे आने वाले अवरोधों तथा शासन पर प्रभाव डालने वाली तमाम चर्चा में विकास की सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया में और शासन की राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग हाशिए पर रह गए हैं, उनके समावेश, पहचान तथा आवाज कैसे उठाई जाए, इस पर ध्यान केंद्रित कराया था। गरीबों, महिलाओं, निम्न जातियों के लोगों तथा आदिवासियों को सांस्कृतिक व भौतिक मामलों में किस तरह अनिवार्यत: निष्कासित कर दिया जाता है, उनके समावेश में किनकी पहचान किस तरह बाधक बनती है, राजनीतिक चालबाजी का वे किस तरह शिकार बनते हैं आदि बातों को लेकर सम्मेलन की बैठकों विस्तृत चर्चा हुई। बैठकों के दौरान यह बताया गया कि लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिक समाज का स्थान व भूमिका राज्य का विकल्प नहीं बन सकती, परंतु राज्य को सुधारने के लिए नागरिकों में चेतना जागृत हो और वे शामिल हों, यह जरूरी बात है। सम्मेलन के अंत में सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रजातांत्रिकरण ही ऐसी कुंजी है कि जो नागरिकता को प्रभावी बनायेगी। समाज में, राज्य में, मूल्य प्रथाओं में ज्ञान में तथा नागरिक कार्य के मार्गों में सर्वत्र यह लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:www.pria.org

झारखंड में महिला महासम्मेलन

'नारी शक्ति मंच' के द्वारा १५-१६ मार्च २००३ के दौरान मधुपुर में टीटीसी रेलवे ग्रांउड में आठवें राज्य स्तरीय महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। 'नारी शक्ति मंच' पिछले आठ वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य पर तथा कानूनी मामलों में यह प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों। वे प्रति दो वर्षों से दो दिवसीय महिला महा सम्मेलन करते हैं।

इस सम्मेलन के दौरान निम्नानुसार मांगें प्रस्तुत की गई थी:

(१) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ३३ प्रतिशत सुनिश्चित की जाये। (२) झारखंड में महिला आयोग का गठन तत्काल किया जाए। (३) झारखंड तथा अन्यत्र होने वाले महिलाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए। (४) प्रत्येक जिले में महिला पुलिस स्टेशन हो। (५) जिले की सभी सरकारी समितियो में ५० प्रतिशत महिलाएं हों। (६) प्रत्येक तहसील में प्रसूतिगृह की व्यवस्था की जाये। विस्तृत ब्यौरे हेतु सम्पर्क करें: 'नारी शक्ति मंच', मधुपुर, देवघर ८१५३५३. फोन: ०६४३८-२४५६२.

अपना दिन

'उन्नति' द्वारा ओक्सफाम, उर्मूल और स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंसेज के सहयोग के साथ ८ मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 'अपना दिन' के रूप में मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य यह था कि पंचायतों में चुनी गई महिला प्रतिनिधि तथा ग्राम स्तरीय महिला नेता पानी की समस्या से संबंधित सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी आवाज उठा सकें। पश्चिमी राजस्थान में लगातार चौथे वर्ष अकाल पड़ा है और पानी की समस्या स्त्रियों के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर डालती है। उनको पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। मंडोर, शेरगढ़, बालेसर और फलौदी तहसीलों में लगभग २५० महिलाओं ने इस उत्सव में भाग लिया। जोधपुर जिले की ये महिलायें ज्यादातर पंच या सरपंच थीं। जिला ग्राम विकास एजेंसी के निर्देशक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, तथा जिला पंचायत के प्रसासनिक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दिन के आरंभ में कठपुतली शो रखा गया था, जिसमें सती-प्रथा, चिपको आंदोलन, नशाबंदी आंदोलन, दहेज-विरोधी आंदोलन आदि की झांकी दिखाई गई थी। फिर रोल-प्ले किया गया। उसमे पानी की समस्या, पंचायतों की उपेक्षा तथा महिलाओं की समस्याओं के बारे में प्रस्तुति हुई। सरकारी अधिकारियों को उससे धरातल की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। फिर कई पंचायतों की समस्याएं प्रस्तुत की गईं। जिला ग्राम विकास एजेंसी के निदेशक ने उन्हें हल करने का भरोसा दिलाया। दिन के अंत में सभी सहभागी महिलाओं ने शपथ ली कि वे अपने अधिकारों को लेकर जागृत रहेंगी। सम्पर्कः उन्नति।

पीपल्स नेशनल वाटर फोरम

भारत सरकार ने विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर पानी का निजीकरण करना शुरू किया है। इस तरह पानी सार्वजनिक संसाधनों में से व्यापार-योग्य, मुनाफादायी और आर्थिक वस्तु बन गया है। पानी के निजीकरण को चुनौती देने तथा नदियों पर लोगों के अधिकार बने रहें, इसके लिए 'नवदान्य' द्वारा 'जल स्वराज अभियान' शुरू किया गया है। इसकी शुरूआत दिसंबर २००१ में हुई थी और उसने प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर पर जल के बारे में सार्वजनिक सुनवाइयां रखी थी। उसी ने १५-१६ मार्च २००३ को 'पीपल्स नेशनल वाटर फोरम' का नई दिल्ली में आयोजन किया था। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष २२ मार्च को मनाया जाता है, इस संबंध में 'वर्ल्ड वाटर फोरम' की बैठक जापान के क्योटो में १६ से २२ मार्च की बीच होगी। इसीलिए से इस सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थेः
(१) गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और अन्य क्षेत्रों की जल यात्रा के विवरण का बयान, (२) नदियों को जोड़ने की योजना तथा निजीकरण के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया, (३) यत्न एवं सामुदायिक अंकुश पर आधारित विकल्प, (४) जल स्वराज, जल बिरादरी तथा जल यात्रा को मजबूत करने की भावी योजनायें। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री राजेन्द्र सिंह ने इस फोरम का उद्घाटन किया था। जल सार्वभौम, जल लोकतंत्र तथा जल पर सामुदायिक अधिकारों के बारे में विशद् चर्चाएं हुई थी। किस तरह भूगर्भ जल कोका कोला कंपनी चुराती है, पानी के निजीकरण तथा दुनिया भर में जो आंदोलन चल रहे हैं। उनकी भी प्रस्तुति इस फोरम में हुई थी। अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करेंः ई-मेलः rfste@vsnl.com

राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने के लिए आदिवासियों की भूमि हथियाई

राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राज मार्ग नं.८ को चौड़ा करने का काम कर रही है। यह काम मनोर से तलासरी के बीच तेज रफ्तार से चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ६०५ आदिवासी परिवारों की जमीन छीन ली गई है। उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रतिरोध अधिनियम-१९८९ तथा महाराष्ट्र रेस्टोरेशन औव् लैंड्स टू शिडयूल्ड ट्राइब्स एक्ट-१९७५ एसी कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है। महाराष्ट्र भूमिकर अधिनियम का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है। इस संदर्भ में 'नागरिक पहल' द्वारा भारत के प्रधान मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, थाणे के कलैक्टर तथा थाणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को पत्र लिखने के लिए संबंधित नागरिकों से अनुरोध किया गया है। इस पत्र में चार मांगें प्रस्तुत की गई हैः

(१) भूमि संपादन की कार्यवाही कानूनी व्यवस्थाओं के मुताबिक की जाए।
(२) मात्र भूमि के लिए ही नहीं, पर फसल, वृक्षों, कुओं आदि के लिए भी बाजार की दर से मुआवजा चुकाया जाए।
(३) जिन आदिवासियों की जमीनों पर कामकाज शुरू हो चुका है वहां उन्हें जमीन का किराया चुकाया जाए।
(४) आदिवासी स्वशासन के मुताबिक तमाम विकासपरक परियोजनाओं में आदिवासियों के साथ विचार-विमर्श किया जाए। आदिवासियों के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध 'आदिवासी पुनर्वास आंदोलन' द्वारा हलचल चल रही है और उसका नेतृत्व उसके अध्यक्ष श्री आर. वी. बुसकुटे कर रहे हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करेंः श्री जिमि सी. डाभी, बिहेवियेरल साइंस सेन्टर, जेवियर्स कॉलेज, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-३८०००३, फोनः ०७९-६३०४९२८

संदर्भ सामग्री

महिला और स्वशासन

आनंदी (एरिया नेटवर्किंग एंड इनिशियेटिव्ज) द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में संस्था ने सन् १९९९ में पंचायती राज में महिलाओं की क्षमता वृद्धि का जो कार्य भावनगर जिले की शिहोर तहसील और दाहोद जिले की घोघंबा तहसील में हाथ में लिया था, उसका वर्णन किया गया है। सरपंच के रूप में भूमिका को सार्थक करने के लिए बहनों ने जो संघर्ष छेड़ा है, उनके अनुभवों को इस पुस्तक में वाणी देने का प्रयास किया गया है। जो महिलायें आगे बढ़ने में संकोच महसूस करती हैं उनको सफलता की ये कहानियां पढ़कर प्रोत्साहन मिलेगा।

इस पुस्तक में शिहोर तहसील की २६ महिला सरपंचों का सर्वेक्षण है कि विभिन्न महिला सरपंच किस तरह गांव में वर्चस्व जमाने वाले तत्त्वों को वश में करके गांव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का काम कर सकीं, इसका ब्यौरा यहां दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था किस तरह महिला सरपंचों को काम नहीं करने देती, इसका विवरण भी दिया गया है। 'आनंदी' संस्था का सूचना केंद्र किस तरह काम करता है तथा महिला सरपंचों को वह किस तरह सक्षम बनाता है, इसका वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है। महिलयें पंचायत के प्रशासन में निर्णायक भूमिका किस तरह अदा कर सकती हैं और वे भागीदार बनकर किस तरह स्वयं को केंद्र के साथ संलग्न कर सकती हैं, यह इस पुस्तक से जाना जा सकता है।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत की बैठक में क्या होना चाहिए तथा क्या नहीं होना चाहिए तथा सरपंच को क्या करना चाहिए, इसका ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया हैं। पंचायती राज को मजबूत करने के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को तथा अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को इस पुस्तक सें प्रेरणा मिल सकती है। पृष्ठः ४२, प्रकाशकः आनंद, नूतन विद्यालय के खांचे में, भोईवाडा स्वास्थ्य केंद्र के सामने, हुलरिया चौक, भावनगर ३६४ ००१. फोनः ०२७८-२५११५७८.

अब अंधेरा जीत लेंगे

स्थानीय स्वशासन में सफल नेतृत्व प्रदान करती महिला सरपंचों की यशगाथा इस पुस्तक में वर्णित है। इसमें अलग-अलग गांवों की १३ महिला सरपंचों के प्रयासों का प्रस्तुतीकरण है। पंचायती राज में सफल रही महिलाओं के अनुभवों से अन्य गांवों की महिला सरपंचों को प्रेरणा मिले तथा वे इन दृष्टांतों से शिक्षा ग्रहण करें, ऐसे प्रयास के बतौर यह दस्तावेजीकरण किया गया है। पुस्तक में प्रस्तुत लेख 'चरखा विकास संचार नेटवर्क - गुजरात' के तत्वावधान में विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे हुए हैं तथा मुख्य धारा के अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं।

ग्रामीण स्तर पर पंचायत में चुनी हुई गुजरात भर की महिलाओं ने स्वयं को मिले अवसर का लाभ लेकर सफल नेतृत्व प्रदान किया तथा ग्राम विकास के काम किये हैं। परंतु पंचायत का प्रशासन तो महिला सरपंच का पति ही करता है, ऐसी मान्यता के कारण ग्राम-विकास में महिला सरपंचों के व्यक्तिगत योगदान को महत्व नहीं दिया जाता। पंचायत क्षेत्र में सफल रहने वाली महिलाओं ने यह साबित कर बताया कि यदि उनको अवसर व मार्गदर्शन दिया जाता है तो वे ग्राम पंचायत को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। यह पुस्तक ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। गुजराती स्वैच्छिक संस्थाओं, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं तथा महिला सरपंचों के लिए पुस्तक उपयोगी है। सूचित योगदानः २० रु., पृष्ठ ३८, प्राप्ति स्थानः 'उन्नति'।

स्थानीय स्वराज तथा सामाजिक विकास

यह पुस्तक पंचायती राज के बारे में संक्षिप्त मार्गदर्शिका है। 'उन्नति' द्वारा तैयार की गई 'पंचायत भोमियो' नामक विस्तृत मार्गदर्शिका का यह संक्षिप्त रूप है। गुजरात राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उपक्रम से राज्य में अलग अलग कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं। ये कार्यक्रम व योजनाएं अच्छी तरह से चलें, इसके लिए पंचायत में चुने हुए सदस्यों, सरपंचों तथा स्थानीय महिला संगठनों के अग्रणियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी सहभागिता

बढ़ाने तथा कार्यक्रम को अच्छी तरह से चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के 'महिला एवं बाल कल्याण विभाग' द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था। इस कार्यशाला में वितरित करने के प्रयोजन से यह संक्षिप्त मार्गदर्शिका 'उन्नति' द्वारा तैयार की गई है। यह मार्गदर्शिका इस तरह पंचायती राज के बारे में सभी प्रकार की प्राथमिक जानकारी प्रदान करती है। इस मार्गदर्शिका में सात प्रकरण हैं:

(१) पंचायती राजः संदर्भ तथा वर्तमानः ७३वां संविधान संशोधन, बुनियादी स्तर पर जन भागीदारी।

(२) गुजरात में पंचायती राजः गुजरात में पंचायती राज का इतिहास, गुजरात मे पंचायती अधिनियम - १९९३, पंचायतों की रचना और कार्य, चुनाव और, आरक्षित पद, राज्य चुनाव आयोग, सत्ता, कर तथा फंड, भूमि-कर-आवंटन, पंचायतों की ग्राम विकास में भूमिका।

(३) पंचायत के प्रतिनिधियों की सत्ता, अधिकार व कर्तव्यः पंचायत-सदस्यों की सत्ता, अधिकार व कर्तव्य, सरपंच के कामों का आयोजन, पटवारी के बारे में निजी विवरण, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

(४) ग्राम पंचायतों के नामः रोजगार और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन, खेती-बाड़ी सुधार, पशु-संवर्धन, स्वास्थ्य-सुरक्षा, ढांचागत सुविधाएँ, सार्वजनिक निर्माण कार्य और रख-रखाव, नियमन और देखभाल, आयोजन तथा प्रशासन, शिक्षा एवं संस्कार का प्रसार करना, सामूहिक विकास को गति देना, सामाजिक विकास, अकाल, कमी और प्राकृतिक आपदा के समय राहत।

(५) पंचायत की समितियांः पंचायत और समितियों के बीच संबंध, मुख्य समितियां।

(६) ग्राम सभाः ग्राम सभा क्या-कुछ कर सकती है, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के विशेष अधिकार, ग्राम सभा के बारे में पटवारी की सेवा।

(७) पंचायती राज और वंचित समुदायः महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, वर्तमान स्थिति और परिवर्तन हेतु हस्तक्षेप के बीच अंतर, कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी।

सूचित योगदानः रु.२०, पृष्ठः ४०, प्राप्ति स्थानः 'उन्नति'

शहरी शासन

शहरी शासन के विषय में 'पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया' (प्रिया) द्वारा पांच प्रासंगिक अध्ययन पुस्तिकायें तैयार की गई हैं। ये अंग्रेजी पुस्तिकाएं निम्नानुसार हैं: (१) स्पर्धात्मक राजनीति और शहरी शासन (२) स्थानीय शासन में स्त्री-पुरुष ढांचाः भारतीय अनुभव (३) नगर पालिका की वित्त व्यवस्थाः तुलनात्मक अध्ययन (४) शहरीकरण की प्रवृत्तियां (५) निर्वाचित प्रतिनिधि और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच के संबंध।

प्रथम पुस्तिका में भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता और काउन्सिलरों के नकारात्मक व विधायक मुद्दे दिए गए हैं। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दो नगर पंचायतों की केस स्टडी दी गई है। द्वितीय पुस्तिका में संसद में महिलाओं, स्थानीय स्तर पर आरक्षण, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाले कारकों, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा उनकी प्रभावोत्पदकता पर उनका प्रभाव, काउंसिलरों की समस्याओं आदि मुद्दों की चर्चा की गई है।

तृतीय पुस्तिका में नगर पालिका के वित्तीय संसाधनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा केरल की दो-दो नगर पालिकाओं के अध्ययन इसमें प्रस्तुत किये गए हैं। आय स्रोतों तथा खर्च के स्वरूप की इसमें पड़ताल की गई हैं। इसमें वित्तीय स्रोत बढ़ाने के उपाय भी दर्शाए गए हैं। चौथी पुस्तिका में विश्व के शहरीकरण की प्रवृत्ति के साथ भारत के शहरीकरण की प्रवृत्तियां कैसी रही हैं, इसका विवरण भी दिया गया है।

पांचवी पुस्तक में निर्वाचित प्रतिनिधियों को पालिका के कर्मचारियों से क्या क्या शिकायतें हैं, इसकी पांच राज्यों की ११ नगर पालिकाओं के संदर्भ में तुलना की गई है। इसके अलावा, महिला प्रतिनिधियों के संबंध भी प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ कैसे हैं, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। साथ ही, उत्तर प्रदेश की इत्तौंझ नगर पंचायत के दो उदाहरण भी इस में दिए गए हैं। शहरी स्वशासन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन तथा कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तिका बहुत उपयोगी है। प्रकाशकः पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया), नई

दिल्ली-११००६२, ई-मेलः info@pria.org. फोनः २६०८९५५९, २६०८१९०९

युवती विकास केंद्रों के कार्यकर्ताओं हेतु मार्गदर्शिका

इस पुस्तिका में विकासमान किशोरी के मानसिक विकास, नारी के शरीर तथा बाल संभाल के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से जानकारी दी गई है। शरीर-रचना तथा स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी प्रस्तुति के साथ-साथ प्रचलित अंध-श्रद्धा युक्त मान्यताओं को खंडित किया गया है। किशोरियों तथा युवतियों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने में सहायक यह पुस्तिका उपयोगी होगी। किशोरियां स्वयं को भलीभांति समझ सकें तथा आत्म गौरव की तरफ बढ़े, इस विचार से यह पुस्तिका गुजरात की किशोरियों को मार्गदर्शन देने वाली कार्यकर्त्री बहनों हेतु तैयार की गई हैं।

इस पुस्तिका में कुल १३ प्रकरण हैं। उनमें एक परिशिष्टों का प्रकरण है। १२ प्रकरण इस प्रकार हैंः युवती विकास केंद्र की विभावना, युवती विकास केंद्रों का किशोरी के प्रति अभिगम, पितृसत्ता का आधिपत्य, हिंसा और प्रतिकार स्त्री के श्रम का महत्व, रीति-रिवाज के सूक्ष्म अत्याचार, हमारे संचार माध्यम, सौंदर्य के विषय में सजगता, शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़ी मनो-सामाजिक मुश्किलें, स्त्री के शरीर की रचना, बाल-संभाल, बालक को होने वाले रोग और सुधार की दिशायें, परिशिष्टों में अपने बचाव के तरीकों, किशोरी के विकास हेतु पोषक आहार, स्वास्थ्य के साथ जुड़ी कई गलत मान्यताएं या अंधश्रद्धा तथा समूह-मार्गदर्शन के कार्यक्रमों का समावेश है। नवें प्रकरण में स्त्री के शरीर की रचना समझाई गई है। उसमें २३ चित्र देकर सरल भाषा में जानकारी दी गई है। गर्भ निरोधक विधियों के बारे में भी उसमें सचित्र ज्ञान दिया गया है। प्राप्ति स्थानः आवाज, आवाज कुंज, ४०६ भुदरपुरा, आंबावाडी, अहमदाबाद ३८० ०१५.

आशा की किरण

गुजरात के भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास के लिए किए गए कई प्रयास इस पुस्तक में वर्णित हैं। 'सेतु' कार्यक्रम हाथ में लेकर 'चेतना' ने इस दिशा में काम शुरू किया था। वित्तीय सहायता के विवरण तथा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करके 'चेतना' ने 'सेतु' कार्यक्रम में दोहरी भूमिका अदा की। 'सेतु' कार्यक्रम 'चेतना' के लिए नयी और अनमोल सीख देने वाला कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। इसमें १३ संस्थाएं जुड़ी थीं। उन्होंने बाल शिक्षण, किशोरी स्वास्थ्य, व्यवसाय परक कार्य, चैक-डेम का निर्माण कार्य, विधवा स्त्रियों की परिस्थिति जानने तथा महिला बाल स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रम हाथ में लिये। 'चरखा' ने उनके कार्यों को लेखों में संजो कर उनके प्रयासों का इस पुस्तक में सांगोपांग चित्रण किया है। प्रत्येक संस्था की प्रत्यक्ष साक्षात्कार तथा लोगों एवं कार्यकर्ताओं के साथ हुई चर्चा के आधार पर प्रस्तुत लेख वाकई जीवंत दृश्य खड़ा करते हैं।

इस पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में 'चेतना-सेतु लघु कोष कार्यक्रम' के अंतर्गत साथी संस्थाओं के द्वारा की गई प्रवृत्तियों के बारे में १४ लेख हैं। द्वितीय भाग में अलग-अलग संस्थाओं द्वारा किये गए पुनर्वास के दृष्टांत स्वरूप कार्यों के बारे में ७ लेख प्रस्तुत किये गए हैं। पुस्तक के सभी लेख गुजरात के अलग-अलग मुख्य प्रवाह के अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रकाशकः चरखा - विकास संचार नेटवर्क, ३०२, साकार-४, मा.जे, पुस्तकालय के सामने, विवेकानंद ब्रिज के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद ३८० ००६. फोनः ०७९-६५८३३०५, ६५८८९५८

विकासपरक प्रयासों की वाणी

विकासपरक कार्यों और समूह माध्यमों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के चरखा-गुजरात के कई प्रयासों के उदाहरणों का इस पुस्तक में समावेश किया गया है। पिछले एक वर्ष में विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के १६ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए २५ विकास परक लेखों का इस पुस्तक में समावेश किया गया है। अधिकांश लेख गुजरात के अलग-अलग अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन लेखों में से मात्र विचार या चिंतन पर आधारित लेखों के बदले ठोस उदाहरणों का निरूपण करने वाले इस पुस्तक में चुने गए हैं। इस पुस्तक में पंचायती राज, शिक्षा और पानी के मुद्दे पर किये गए लोक-प्रयासों से संबंधित लेख हैं। उनमें विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी से हुए विकास कार्यों पर बल दिया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशन में 'चरखा' को नेशनल फाउन्डेशन फॉर इंडिया (एन.एफ.आई) का सहयोग प्राप्त हुआ हैं। इस पुस्तक में छह भाग हैंः

(१) विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का नेतृत्व (२) वंचित वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अभिगम (३) लोक भागीदारी से पानी की समस्या का हल (४) असंगठितों का संगठित प्रयास (५) स्थानीय शासन और विकास (६) ग्राम विकास के क्षेत्र में जन प्रयास। प्रथम भाग में नौ, दूसरे में तीन, तीसरे में दो, चौथे में पांच, पांचवें में तीन और छठे भाग में तीन लेख प्रकाशित किये गए हैं।

प्रत्येक लेख में आवश्यक चित्रांकन भी है और मुख्य मुद्दों को प्रकाश में लाया गया है। प्रत्येक लेख के अंत में संबंधित संस्था का पता भी दिया गया हैं। साथ ही वह लेख कब किस अखबार में छपा था, उसका ब्यौरा भी दिया गया है। प्रथम भाग में कच्छ, जामनगर, भरूच, नर्मदा, भावनगर, दाहोद, सुरेंद्रनगर, अमरेली और अहमदाबाद जिले में हुए प्रयासों की बात प्रस्तुत हुई। खास करके शराब के दुर्व्यसन, भ्रष्टाचार, शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये गए सफल संघर्ष के विषय में इस भाग में चर्चा की गई है।

दूसरे भाग में कच्छ जिले के गांवों में किशोरियों तथा अहमदाबाद में भवन निर्माण करने वाले बच्चों को शिक्षित करने के प्रयासों का उल्लेख हुआ है। भावनगर जिले के एक गांव में अध्यापन का उल्लेखनीय योगदान देने वाले एक श्रेष्ठ शिक्षक की कार्यनिष्ठा की चर्चा की गई हैं। तीसरे भाग में कच्छ और महेसाणा के गांवों में लोगों के प्रयासों से तथा पियत मंडली के द्वारा पानी के समस्या के हल के प्रयासों का विवरण है। चौथे भाग में असंगठित मजदूरों द्वारा संगठित होकर अपने अधिकार प्राप्त करने की दिशा में की गई सफल यात्रा का वर्णन है। अहमदाबाद के निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों, सूरत व भरूच जिले के आदिवासी ग्रामजनों तथा राजकोट जिले के गांवों के युवकों के संघर्ष का विवरण इस विभाग में दिया गया है। बाद के विभाग में गुजरात में अलग-अलग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकासपरक मुद्दों के विषय में किये गए कार्यों संबंधी लेख हैं। अंतिम भाग में जूनागढ और कच्छ जिलों के गांवों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु किये गए जन प्रयासों की प्रस्तुति हैं। संपादकः संजय दवे, पृष्ठः १२८, प्रकाशकः चरखा।

मानवता का मार्ग

गुजरात में हिंसा की आग के बीच भी कई इलाकों में शांति छाई रही। गुजरात के अनेक गांवों ने सद्‌भावना और शांति की विरासत को सहेजे रखा है। शांतिपथ के इन पथिकों ने अपने गांव या अंचल की शांति को सुरक्षित रखने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का दस्तावेजीकरण इस पुस्तक में किया है।

यह पुस्तक दो खंडों में विभाजित है। 'चरखा' द्वारा आयोजित लेखन स्पर्धा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में हुए कौमी एकता के प्रयासों के बारे में लेख लिखकर भेजे थे। उन लेखों मे से दृष्टांत, प्रक्रियाएँ व पद्धतियां दर्शाने वाले ३९ लेख चुने गए हैं। उनमें गुजरात के १४ जिलें के सद्‌भावना प्रयासों का उल्लेख हुआ है। प्रथम भाग में प्रस्तुत प्रथम पांच लेख लेखन स्पर्धा की प्रथम पांच विजेता कृतियां हैं। इसके अलावा 'चरखा' व अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए ७ लेख दूसरे भाग में प्रस्तुत किये गए हैं। पुस्तक की प्रस्तावना 'आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम' के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अपूर्व ओझा ने लिखी है। जाने माने कर्मशील व पत्रकार तथा 'चरखा' के ट्रस्टी श्री इन्दुकुमार जानी ने 'सद्‌भावना की नींव पर गुजरात का नव निर्माण करें' शीर्षक के अधीन एक मननीय लेख भी उसमें लिखा था। पुस्तक के अंत में 'वो दिन आयेगा' शीर्षक से इंडिया अनलिमिटेड के जावेद अख्तार की कविता है। प्रस्तावित योगदानः ५० रु., संकलन व संपादनः संजय दवे, प्राप्ति स्थानः चरखा।

पोपुलेशनः क्वेश्चंस एंड आन्सर्स

इस छोटी सी अंग्रेजी पुस्तिका में 'आबादी संबंधी तथ्यों' को समेटा गया हैं। इसमें सामान्यतया जनसंख्या - वृद्धि के संदर्भ में जो सवाल लोगों के मन में उठते हैं, उनके उत्तर देने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तिका में निम्न प्रश्नों के उत्तर दिये गए हैंः

(१) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है और वह कब घोषित हुई? (२) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या व विकास परिषद तथा उसका कार्यक्रम क्या हैं? (३) आबादी की स्थिरता क्या है? आबादी की स्थिरता के साथ वह किस तरह सम्बद्ध है? (४) जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाये बगैर भारत किस प्रकार विकास कर सकता है? (५) इतने चिंताजनक रुप से भारत में जनसंख्या वृद्धि अब भी क्यों हो रही है? (६) ग्रामीण लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं और शहरी मध्यम वर्ग अपने परिवार

के आकार को अंकुश में रखता है। क्या यह बात सही नहीं? (७) भारत की आबादी पिछले ५० वर्षों में बहुत बढ़ी है और हम १०० करोड़ हो गये हैं। क्या इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए देश के पास पर्याप्त अनाज है? (८) अब भी भारत में भुखमरी से मरते हैं, क्या यह सच नहीं? (९) क्या ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते? (१०) जनसंख्या को तेज़ी से स्थिर करने के कुछ मार्ग तो होने ही चाहिए। दो बच्चों तक की बंदिश स्वीकार करने में क्या हर्ज हैं। (११) स्त्री के स्वास्थ्य के लिए भी क्या दो ही बच्चों को होना अच्छा नहीं? (१२) सभी यह कहते हैं कि चीन ने एक ही बच्चे वाली बंदिश सफलता के साथ अपनाई है। क्या यह सही नहीं? (१३) चीन और केरल में क्या एक समान पाठ्यवस्तु सीखने को मिलती है? (१४) क्या परिवार नियोजन में स्त्रियों को मुख्य लक्ष्य बनाया जाना चाहिए? (१५) परिवार-नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों को शामिल करने की क्या जरूरत है? (१६) जनसंख्या की स्थिरता तथा चिरंतन विकास हांसिल करने के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं? प्राप्ति स्थानः परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार और यूनाइटेड नेशंस पोपुलेशन फंड, ५५, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली ११० ००३, फोनः ४६२८८७७, ४६५१८०३, वेबसाइटः unfpa.org.in

नयी दिशा, नये मार्ग चिह्न

आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। 'ओलख' संस्था स्थानीय स्तर पर, स्थानीय भाषा में स्त्रियों व स्त्रियों की समस्याओं संबंधी साहित्य प्रकाशित करती है। वह नारीवादी मैत्री एवं मार्गदर्शन केंद्र भी चलाती है। इस पुस्तिका में 'ओलख' की प्रवृत्तियों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा इसमें सरूप ध्रुव, मकरंद दवे, सोनल शुक्ल, नंदिनी मेहता, विभूति पटेल, संजय घोष, अभिलाषा, कमला भसीन, मीनल पटेल, नेहल पंड्या आदि के नारीवादी गीत भी दिये गए हैं।

पुस्तिका में आठ मार्च के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है तथा महिला आंदोलन की भूमिका समझाई गई है। इसके अलावा 'महिला आंदोलनः विकल्प व संकल्प' शीर्षक लेख में महिलाओं के विषय में नीति-विषयक परिवर्तन तथा सामाजिक वृत्तियों में बदलाव का समर्थन किया गया है। मैत्री यात्रा तथा मैत्री पात्र संबंधी संस्था किस तरह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती है, उसका विवरण भी इसमें दिया गया हैं। प्राप्ति स्थानः 'ओलख', २४, जलाराम पार्क, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के सामने, पानी की टंकी रोड के पास, हरणी रोड, बड़ौदा-६. फोनः ०२६५-२४८६४८, इ-मेलः olakh@satyam.net.in

पृष्ठ 6 का शेष

(६) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के तहसील या जिला स्तरीय मंडल को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे वे अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें और अपने कार्यों के संदर्भ में उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज उठा सकें। गुजरात की स्त्री-पुरुष नीति में भी यह अनुरोध किया गया है।

(७) कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी बोर्ड में निर्णयकर्ता संस्थाओं में एक तिहाई महिलाओं का होना जरूरी है। इन संस्थाओं को निर्णयकर्ता के रूप में महिलाओं की क्षमता वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। महिलाओं का डमी प्रतिनिधित्व रोकने के लिए तमाम बैठकों में कोरम तय करने हेतु एक-तिहाई महिलाओं की सहभागिता होना अनिवार्य होना चाहिए। गुजरात सरकार की स्त्री-पुरुष समानता नीति में भी इस बारे में अनुरोध किया गया हैं।

पृष्ठ 10 का शेष

तो मूलभूत रूप से उसमें से छंट जाते है, सिवाय कि बाजार की सबसे निचले दर्जे की सेवा में हों। वेतन आधारित बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के भाव बढ़ाने की वृत्ति रखता है कि जिसमें आनाज, पानी, आवास और उर्जा का समावेश है, परंतु निचले स्तर पर वेतन इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ते। और जो वेतन-रोजगार नहीं पाते, उनके लिए तो निम्न मूल्य की वस्तुएँ भी पहुच से बाहर रह जाती हैं। जरूरतों पर आधारित बाजार के उदारीकरण से वास्तव में लोग गरीबी में धकेले गए हैं। उसमें से बाहर नहीं आए। बाजार का उद्देश्य अधिकाधिक मुनाफे का है, गरीबी पर हमला करने का नहीं। यह प्रतिवेदन यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकर करता है कि 'लोगों को वैश्वीकरण की ऐसी नीतियों की जरूरत है कि जो उनके लिए लाभदायी हों। इस की सिफारिश करना इस प्रतिवेदन के कार्यक्षेत्र में नहीं है।' यही त्रासदी है। प्रजनन परक स्वास्थ्य संबंधी वास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा।

विगत तीन माह के दौरान हमने निम्न प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

कच्छ में पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा निर्बलता कम करना

'भचाऊ विस्तार विकास सत्तामंडल (भाडा)' के सहयोग से १ जनवरी २००३ को 'नागरिक सहयोग केंद्र' की स्थापना की गई। 'भाडा' के प्रांगण में स्थापित यह केंद्र नागरिकों व सरकार के बीच सेतु का काम करता है। समुदाय के साथ कई विचार-विमर्श सभाएं आयोजित की गईं। इस दौरान नगर आयोजन योजनाओं, ढांचागत सुविधाओं का विकास, जमीन का नियमन, मुआवजा और निर्माण-कार्य स्वीकृति विषयक अनेक मुद्दे उठाये गए। समुदाय ने ही ये प्रश्न उठाएं हैं और सत्ताधिकारी इस मामले में काम कर रहे हैं।

सामुदायित आकस्मिकता आयोजन आपदा का सामना करने हेतु समुदाय की क्षमता बढ़ाता है। आपदा की स्थिति में लोगों को ४८ से ७२ घंटों में स्वयं आपदा का सामना करना होता है, बाहर की राहत संस्थाएँ तो बाद में आती हैं। अतः कच्छ के मोरगर और लुणवा गांवों के लिए प्रायोगिक स्तर पर सामुदायिक आकस्मिकता योजना तैयार की गई है। इसमें समुदाय को संवेदनशील बनाने, परिस्थिति का विश्लेषण करने, जोखिम को मापने, संसाधनों को पहचानने तथा प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु कार्यदलों का गठन करने का समावेश होता है। किसी भी विपत्ति के समय जो काम करने होते हैं उनमें चेतावनी और जानकारी की खोज, बचाव और मूल्यांकन, स्वास्थ्य और सफाई, आवास, समग्र संचालन तथा नुकसान की मात्रा आदि बातों का समावेश होता है। प्रत्येक काम के लिए एक उप समिति गठित की गई और प्रत्येक समिति ने उन कामों की सूची बनाई जो उन्हें करने थे। प्रत्येक समिति तथा गांव की क्षमता के बारे में सोचा गया तथा यह तय किया गया कि बाहर की कितनी मदद की जरूरत पड़ेगी। २१ मार्च २००३ को भुज में अनुभव एवं योजनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहभागियों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गई तथा विपत्ति से मुकाबले हेतु, आकस्मिकता योजनाओं हेतु क्या जरूरत है, इस पर बल दिया गया। (उसका एक ब्यौरेवार प्रतिवेदन तैयार किया गया)। कार्यशाला के दौरान विपत्ति की व्याख्या और उसके फैलाव के बारे में एक सर्वसामान्य समझ बनाने संबंधी चिंता तथा जरूरत पर बल दिया गया। योजना तैयार करने हेतु कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह तय हुआ तथा लंबी अवधि तक उसमें समुदाय की रुचि और सहभागिता सुरक्षित रहे, इस विषय में ध्यान दिया गया। लगभग ५० सहभागियों का एक समूह गठित किया गया जो विपत्ति से मुकाबले की तैयारी हेतु एक सर्व सामान्य समझ निर्मित करेगा।

इस प्रदेश में भूकंप के संदर्भ में सुरक्षित भवनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु निर्माण-कार्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया (इस बारे में विस्तृत विवरण 'गतिविधियाँ' स्तंभ में दिया गया है)। भूकंप प्रतिरोधी भवन बनाने हेतु २३ कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया तथा भचाऊ नगर में व उसके नजदीक के दो गांवों में ५३ घरों का फिर से सुदृढ़ीकरण कराया गया। ४१ परिवारों को निर्माण कार्य सामग्री का सहयोग दिया गया तथा इनमें छह परिवारों में महिलाएं ही मुखिया हैं।

जीवन निर्वाह के प्रश्न पर मध्यस्थता हेतु बिक्री की कार्यनीति के भाग के रूप में महिला कारीगरों ने नई दिल्ली के 'दस्तकार' द्वारा आयोजित १५ दिनों के प्रदर्शन व बेचान में भाग लिया। बाद में महिला कारीगरों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु बैठकें आयोजित की गई। बाजार की मांग एवं क्रय करने की क्रय-शक्ति के बारे में भी उसमें खास चर्चा हुई।

समुदाय के साथ होने वाली बैठकों में सामुदायिक देखरेख के भाग के रूप में बालिकाओं की पढ़ाई तथा स्त्री-पुरुषों के बीच वेतन के फर्क जैसे सवालों की चर्चा हुई। विकलांगों को जीवन-निर्वाह के लिए जो सहयोग दिया जा रहा है, उस बारे में काम को जारी रखवाया तथा साथ ही साथ विकलांगों को विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में मदद दी गई। ७ मार्च को अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया (गतिविधियाँ' स्तंभ में उसका विस्तृत विवरण दिया गया है)।

राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर समुदाय आधारित देखरेख

अकाल का यह पाचवाँ वर्ष है। हम सहभागी संस्थाएँ साथ मिलकर सरकार की अकाल राहत व अनाज सुरक्षा योजना पर देखरेख रख रहे हैं। इन तीन माह के दौरान हमारे संयुक्त प्रयासों द्वारा लगभग ५०० कमजोर परिवारों को जोधपुर जिले की मंडोर, बालेसर, शेरगढ़ व भोपालगढ़ तहसीलों में तथा बाड़मेर जिले की बायतु, बालोतरा व सिणधरी तहसीलों में अनाज सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिला है। ग्राम स्तरीय सभाओं के द्वारा कमजोर परिवारों की पहचान की जाती है। १० से १२ मार्च २००३ के दौरान ओक्सफाम के सहयोग से 'सामाजिक चेतना व समर्थन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसका प्रयोजन लोककेंद्री समर्थन के बुनियादी तत्त्वों की सामूहिक समझ विकसित करना तथा स्थानीय स्तर पर अकाल संबंधी समस्याओं के बारे में समर्थन संबंधी कार्यनीति निर्मित करना था। पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों के १३५ गांवों को समेटने वाला यह अध्ययन २७ सहयोगी संस्थाओं द्वारा साथ मिलकर किया गया।

राहत कार्य में दलितों की भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि 'दलित अधिकार अभियान' की ग्राम स्तरीय समिति उपस्थिति-पत्रक पर नजर रखती है। बाड़मेर जिले की कल्याणपुर तहसील की शिवनगरी तथा जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील की चाबा, गुमानपुरा और गड़ा ग्राम पंचायतों में दलितों हेतु विशेष नये उपस्थिति-पत्रक शुरू किये गये हैं।

जयपुर की 'अरावली' के सहयोग से ७-८ जनवरी २००३ के दौरान अकाल संचालन में पंचायतों के प्रतिनिधि की भूमिका के विषय में एक कार्य योजना बनाई गई। उसमें राजस्थान के १३ जिलों की २३ तहसीलों से ९६ प्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। अनाज संरक्षण, रोजगार, घास-चारा, पेयजल तथा स्वास्थ्य आदि अकाल से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हुई तथा राज्य के पंचायत विभाग के निदेशक के समक्ष उनकी प्रस्तुति हुई। 'पंचायत प्रतिनिधि अकाल प्रबंधन मंच' की स्थापना की गई। उसकी पहली बैठक २३.१.२००३ को हुई तथा जयपुर के राहत विभाग के विशेष सचिव के समक्ष उस क्षेत्र की अकाल संबन्धी समस्याएँ प्रस्तुत की गईं।

गुजरात में ग्राम सभा के सक्रिय सदस्यों की ग्राम विकास समिति ने साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील के अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य पर देखरेख रखने का काम किया है।

पश्चिमी राजस्थान में दलित अधिकार अभियान

'दलित अधिकार अभियान' मुख्य रूप से सरकार के राहत कार्यों पर देखरेख का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ दलितों पर होने वाले अत्याचारों के संदर्भ में तो काम करता ही है। मंडोर तहसील में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ था। 'अभियान' ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। पुलिस मामले का झूठा किस्सा कहकर टालना चाहती है, पर 'अभियान' इस मामले में बराबर आगे कार्यवाही कर रहा है। नाई दलितों के बाल नहीं काटते, यह पुरानी बात है लेकिन फिर से उभर आई है, क्योंकि नाइयों ने फिर से रीत-रस्म शुरू कर दी है।

राजस्थान में महिला समूहों को सुदृढ़ बनाना

'दलित अधिकार अभियान' द्वारा ग्राम व तहसील स्तरों पर महिलाओं हेतु सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। उनका मुख्य उद्देश्य दलित महिलाओं की समस्याओं के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना तथा सक्षम बनाना था कि वे उनके बारे में अपनी बात कह सकें। महिलाओं के समूह ही विभिन्न संघर्ष कर रहे हैं, उनके अनुभवों का आदान-प्रदान करके समझ विकसित करने तथा अकाल का सामना करने की व्यूह रचना करने का भी उद्देश्य था। इस प्रशिक्षण में २९१ महिलाओं ने भाग लिया था।

'अपराजिता संस्थान' के सहयोग से जोधपुर जिले की बालेसर तहसील में स्व-सहाय समूहों को दूसरे दौर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण

१०-११ फरवरी के बीच दिया गया, जिसमें ४५ महिलायें उपस्थित थीं। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं तथा उनके कानूनी अधिकार के बारे में संगठन की प्रक्रिया निर्मित करना था। प्रशिक्षण के अंत में उन्होंने अकाल का सामना करने के लिए एक कार्यलक्ष्यी योजना बनाई।

महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना

गुजरात के १० जिलों में महिला पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्व-सहाय समूहों के नेताओं हेतु एक दिन के १० प्रशिक्षण आयोजित किये गए। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस कार्य में सहयोग दिया था। इसमें ३८१ महिलाओं ने भाग लिया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनके बीच एकता स्थापित करने के अलावा विविध योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, समुदाय-आधारित निर्देश विकसित करना तथा देखरेख की पद्धति उत्पन्न करना था। गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका पर भी ज़ोर दिया गया।

हंगर प्रोजक्ट, महिला स्वराज अभियान, पश्चिम भारत पंचायती राज मंच तथा गुजरात विद्यापीठ के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के साथ सहयोग से गुजरात के १९ जिलों की ५५ तहसीलों के ४७८ गांवों के लगभग ७५० महिला पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्व-सहाय समूहों के नेताओं का एक सम्मेलन गुजरात विद्यापीठ में १२-१३ मार्च के दौरान आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा एकता स्थापित करना था। १२ मांगों का एक दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपा गया।

'आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम' तथा 'प्रयास' हेतु गुजरात में वहां के क्षेत्रीय अंचलों की महिला पंचायत प्रतिनिधियों हेतु अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान में सुजानगढ़ की 'मरुशक्ति' के सहयोग से २८-२९ जनवरी के दौरान १० ग्राम पंचायतों हेतु महिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें यह उद्देश्य रखा गया था कि महिलाएं अकाल संबंधी सरकारी प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त करें ताकि पंचायतों द्वारा वे आसानी से काम कर सकें।

ग्राम सभा को प्रोत्साहन

राजस्थान में २६ जनवरी को ग्राम सभाओं की बैठकें होनी थीं अतः जोधपुर के मंडोर पंचायत संदर्भ केंद्र के अधीन २७ ग्राम पंचायतों में लोगों की भागीदारी ग्राम सभा में बढ़े, ऐसे प्रयास किये गए। अनाज सरंक्षण की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा हो, इस पर बल दिया गया। उनमें मध्यान्ह भोजन योजना, पेय जल, घास-चारा व रोजगार की योजनाओं का समावेश था। हमने दो ग्राम सभाओं में उपस्थिति दी थी।

गुजरात में ग्राम सभा विषयक जारूकता अभियान के अंतर्गत में जामनगर की द्वारका, अहमदाबाद की दसक्रोई व धोलका, तथा साबरकांठा की खेडब्रह्मा तहसीलों में ग्राम सभा का महत्व और कार्य दर्शाने वाले पर्चे बांटे गए। पंचायत विकास समितियों ने भी उसमें सक्रिय भाग लिया।

गुजरात और राजस्थान में शहरी शासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना

गुजरात में विछले ३ माह के दौरान अहमदाबाद जिले के साणंद में दृष्टि निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ढांचागत सुविधाओं विषयक ब्यौरा दर्शाने वाली एक अस्थायी योजना बजट के साथ तैयार की गई और नागरिकों के समक्ष ३१.१२.२००२ को प्रस्तुत की गई। नागरिकों ने उसमें नगर पालिका की वित्तीय दशा खराब है, इस बारे में अनुरोध किया तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उत्पन्न करने की जरूरत पर बल दिया। नगर के लोग २० प्रतिशत खर्च वहन करने को तैयार थे, जबकि बाकी का खर्च अनुदान या ऋण के द्वारा प्राप्त होना था। योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए नागरिकों के नेता, नगर पालिका के अधिकारी तथा चयनित प्रतिनिधियों की बनी एक पंजीकृत संस्था का गठन करने पर भी चर्चा-परिचर्चा हुई। १६ फरवरी २००३ के दौरान पालिका के चुनावों के बाद नए चयनित काउंसिलरों के साथ विकासपरक योजना को

लेकर चर्चा आयोजित की गई। पैसा प्राप्त करने के लिए सरकार के शहरी विकास विभाग, नगर पालिका के अध्यक्ष के कार्यालय तथा निजी वित्तीय संस्थाओं का भी सम्पर्क बना।

साणंद की सेवाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में सहभागी अध्ययन यह दर्शाता है कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बहुत खराब है और बहुत कम परिवारों के पास ही अपने निजी शौचालय हैं, अतः कम खर्च पर शौचालय बनवाने हेतु सोचा गया। इसके लिए 'सफाई विद्यालय' से सम्पर्क साधा गया।

राजस्थान के बिलाड़ा शहर में नागरिकों का दस्तावेज तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, सड़कों, दबाव और शिकायतों के पंजीकरण के बारे में विविध समितियों का गठन किया गया है। दस्तावेज के क्रियान्वयन हेतु विविध समुदायों के साथे चर्चा-परिचर्चा की गई। पालिका के अधिकारियों के साथ इस दस्तावेज के क्रियान्वयन हेतु बजट व्यवस्था की जाए, इस हेतु बैठकें आयोजित की गईं। लोगों की शिकायतें एकत्र करने वाली समिति की भूमिका तथा कार्य स्पष्ट करने के लिए एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की गई। छोटे दुकानदारों और फेरी वालों की समस्याएं समझने के लिए उनके साथ भी एक बैठक आयोजित की गई और उन्हें स्थान व सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए अनुरोध किया गया। नगर सेवकों की क्षमता बढ़ाने हेतु विविध हितैषियों के साथ संवाद स्थापित किया गया।

विकास के कार्यक्रमों में विकलांगता की समस्याओं का समावेश

पिछले तीन माह के दौरान विकास में विकलांगता की समस्याओं का समावेश करने की दृष्टि से स्वैच्छिक संस्थाओं के नेताओं के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। बाद में १३ संगठनों ने अपने क्षेत्रों में ३ से ५ गांवों या झोंपड़पट्टी में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन हाथ में लेने के लिए सहमत हो गये। इससे समाज में जिन व्यवहारों के बारे में रुझान है उसको समझने में तथा विकलांग जिन अवरोधों का सामना करता है और उन्हें जो मौके मिलते हैं, उन्हें समझने में मदद मिली। इससे विकास के कार्यक्रमों में विकलांगता की समस्याओं का समावेश करने का अवसर उपस्थित हुआ। प्रत्येक संगठन में एक निदर्शन उन्नति के द्वारा हाथ में लिया गया।

सार्वजनिक स्थानों तथा मकानों में विकलांग आसानी से जा सकें, इसके लिए जागरूकता व संवेदनशीलता जगाने हेतु अहमदाबाद के लॉ-गार्डन में २० मार्च को संबंधित नागरिकों तथा हितैषियों की एक सभा अंधजन मंडल तथा हैंडिकेप इंटरनेशनल के सहयोग से आयोजित की गई। इस बैंठक में अग्रणी वास्तुकार, नगर आयोजक, विविध सरकारी विभागों के अधिकारी, पत्रकार, विकलांग, विद्वान तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दी। मांगों का एक दस्तावेज अहमदाबाद के मेयर को सौंपा गया था, जो इस सभा में विशेष अतिथि के रूप में हाज़िर थे।

'समर्थ' की प्रवृत्तियों की समीक्षा

अहमदाबाद में 'समर्थ' के हस्तक्षेप से होने वाले राहत एवं पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा हाथ में ली गई। इसका उद्देश्य भावी व्यूहात्मक मध्यस्थता हेतु वर्तमान कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना था।

'चरखा' की प्रवृत्तियां

इस वर्ष के दौरान कौमी एकता के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं हेतु लेखन स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसका पुरस्कार वितरण समारोह ७.२.२००३ को किया गया। १५ नागरिकों को कौमी-एकता को प्रोत्साहन देने के लिए स्मृति चिह्न दिये गए। 'मानवता का मार्ग' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें कौमी एकता के प्रयासों के बारे में लेख छपे थे।

'विकास के प्रयासों को वाणी' नामक एक अन्य पुस्तक अंग्रेजी व गुजराती में प्रकाशित कराई गई। संपादन का सहयोग जनपथ, ए.के.आर.एस.पी., 'उत्थान' के समाचार पत्रों हेतु दिया गया है। दंगा-ग्रसित लोगों की मनो-सामाजिक देखरेख के लिए मैन्युअल तैयार करने हेतु 'केयर इंडिया' को संपादन सहयोग प्रदान किया गया। 'हम भी क्या किसान नहीं' के लिए एकेआरएसपी तथा 'स्थानीय स्वराज एवं सामाजिक विकास' तथा 'अंब अंधेरा जीत लेंगे' हेतु 'उन्नति' को सहयोग प्रदान किया गया।

पृष्ठ 8 का शेष

पिछले ५० वर्षों में यही महत्वपूर्ण सीख मिली है कि सिर्फ सच्चे लोककेंद्री अभिगम ही स्थाई रूप में सफल हो सकते हैं। हमारे देश के और दुनिया के विकास के प्रत्येक क्षेत्र के अनुभवों से यही बोधपाठ मिलता है। बोधपाठ यह भी है कि सबसे ज्यादा पीछे फेंके गए लोगों को ही उनके लाभ के कार्यक्रमों का मालिक बनना चाहिए। इससे स्त्रियां समान भागीदार तथा संचालक के रूप में सत्ता के वर्तमाम ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। सभ्य समाज ऐसे नये अभिगमों की खोज हेतु पूरा अवसर प्रदान करता है। गरीबों के लिये ऐसा अवसर बढ़ाने हेतु सरकार व सभ्य समाज मिलकर काम करें, यह उनकी जिम्मेदारी है। समान भागीदार के रूप में अपनी भूमिका में विचारवान एवं जिम्मेदार समीक्षक के भूमिका का भी समावेश होता है। इस भूमिका से बचा नहीं जा सकता। अतः समीक्षाओं को स्वीकार करने हेतु सभी द्वारा खुले रखने जरूरी हैं। चर्चा और संवाद को सरकार विरोधी अथवा विकास विरोधी नहीं समझना चाहिए वरन् इन्हें आदर और विश्वास का रसायन मानना चाहिये। अतः स्वैच्छिक कार्य, नागरिक समाज और शासन के वर्तमान चिंतन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमें भी नागरिक समाज में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सेवा के ऊंचे स्तर संबंधी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः रमेश पटेल, 'उन्नति' **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन प्रिन्टर्स, अहमदाबाद। फोनः 98251-56402

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।